कलाकृति

द्वितीय अंक

संरक्षक

श्रीमती रुबी कौशल
सचिव, दि.न.क.आ.

परामर्शदाता

राजीव गौड़, सहायक सचिव (तकनीकी)

संपादक

कल्पना देवानी, हिंदी अनुवाद अधिकारी
उप-सम्पादक
रेनू बस्सी, सहायक

सहायक

सुनीता रानी, उच्च श्रेणी लिपिक
राजबीर सिंह, हिन्दी टंकक

संपादकीय पता
दिल्ली नगर कला आयोग
कोर 6 ए, यू जी एवं प्रथम तल
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

अनुक्रमणिका

संदेश
संपादकीय

सरस्वती वंदना
हिंदी लिखते समय कृपया ध्यान दें
हम इतना तो कर सकते हैं
राजभाषा अधिनियम 1963

डा. पी.एस.एन.राव, अध्यक्ष दि.न.क.आ.
सरफेसिस पत्रिका में छपा लेख
पत्रिका का विमोचन
हिंदी सलाहकार समिति की बैठक

आयोग ने 21.06.2019 को योग दिवस
राजभाषा हिंदी संगोष्ठी
आयोग के कार्मिकों के लेख/कविताएं

श्री ओम प्रकाश
संयुक्त निदेशक
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

संदेश

हिंदी को संघ की राजभाषा के रुप में अपनाने के संवैधानिक उद्देश्यों को पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कार्य को प्रोत्साहित किया जाए । वास्तविकता में हिंदी में काम करने के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि भाषा को सरल एवं सहज रुप में लिखा जाए ताकि आसानी से समझी जा सके और अपनाई जा सके ।

आशा है कि यह पत्रिका पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी और कार्यालय के कार्मिकों में लेखन प्रतिभा बढ़ा कर उनके विचारों को मुखरित करेगी । पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए साधुवाद देता हूं ।

ओम प्रकाश
संयुक्त निदेशक

प्रो. डॉ. पी.एस.एन. राव

अध्यक्ष,दि.न.क.आ.

संदेश

मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि दिल्ली नगर कला आयोग अपनी पत्रिका कलाकृति का द्वितीय अंक प्रकाशित कर रहा है । इस पत्रिका के प्रकाशन से एक ओर आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रतिबद्धता सशक्त होगी तो दूसरी ओर आयोग में एक ऐसा हिंदी वातावरण सृजित होगा जिससे आयोग में राजभाषा हिंदी का उत्तरोत्तर प्रगामी प्रयोग बरकरार रहेगा ।

मैं आशा करता हूं कि आयोग भविष्य में भी राजभाषा हिंदी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को अनवरत बनाए रखेगा और 'कलाकृति' पत्रिका के प्रत्येक अंक में आयोग की कार्यशैली की वृद्धि होगी। भारतीय संविधान में हिंदी का राजभाषा के रुप में प्रावधान होने के कारण हमारी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है कि हम अपना सम्पूर्ण कार्य राजभाषा हिंदी में निष्पादित करें ।

मैं 'कलाकृति' पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

PSRao

प्रो.डॉ.पी.एस.एन.राव

अध्यक्ष

अभिमन्यु दलाल,
सदस्य, दि.न.क.आ.

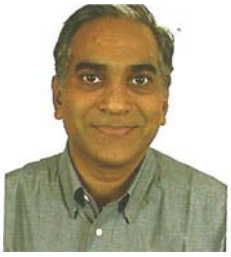

संदेश

हर राष्ट्र की अपनी भाषा होती है, जिसमें वह अपनी अभिव्यक्ति स्पष्ट, प्रभावशाली तथा अधिक भावपूर्ण ढंग से करने में सक्षम होता है । भाषा विचार संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम ही नहीं होती बल्कि उसमें बोलने वालों की सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों का भी समावेश होता है । हिंदी आज किसी प्रदेश विशेष की भाषा ना होकर समूचे भारत के जन-जन की भाषा है और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर अपना वर्चस्व कायम कर विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है ।

आज भारतवर्ष की राजभाषा होने के नाते हम सब का नैतिक और संवैधानिक दायित्व है कि हम सब अपना दैनिक सरकारी कार्य राजभाषा हिंदी में निष्पादित करें ।

मैं कामना करता हूं कि यह पत्रिका निरंतर सफलता के नए क्षितिजों को हासिल करती रहे और हिंदी का प्रचार-प्रसार कर पाठकों में हिंदी के प्रति जागरुकता की भावना को सृजित करती रहे ।

अभिमन्यु दलाल,
सदस्य

सोनाली रस्तोगी
सदस्य,दि.न.क.आ.

संदेश

हिंदी पत्रिकाओं के प्रकाशन से कार्मिकों में हिंदी लेखन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण उजागर होता है । इससे दैनिक कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बल मिलता है और हिंदी का उत्तरोतर प्रयोग सुनिश्चित होता है । पत्रिका के माध्यम से भाषा के विकास में सहयोग मिलता है ।

पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए मेरी शुभकामनाएं ।

सोनाली रस्तोगी

सोनाली रस्तोगी
सदस्य

समीर माथुर
सदस्य,दि.न.क.आ.

संदेश

आयोग में हिंदी भाषा में कार्य करने के लिए हिंदी पत्रिका का प्रकाशन प्रेरणा स्वरुप है। पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार होता है तथा सरकारी कामकाज में रूचि पैदा करने का कार्य भी सहज हो जाता है आशा है यह प्रयास भाषा की सहजता व सरलता को बनाए रखने में सफल होगा ।

इस पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े समस्त कार्मिकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं ।

समीर माथुर

समीर माथुर
सदस्य

रुबी कौशल

सचिव,दि.न.क.आ.

संदेश

हिंदी भाषा आज राजभाषा, राष्ट्रभाषा एवं सम्पर्क भाषा तीनों दायित्वों का निर्वाह कर रही है । जिस भाषा ने देश के सभी भू-भाग के लोगों को एक सूत्र में पिरो कर देश की एकता और अखण्डता को कायम रखा हो,जिस भाषा के माध्यम से कवियों ने सांस्कृतिक एकता का आधार बनाकर अपने काव्यों को समृद्ध किया हो, उस भाषा को राजभाषा के रुप में प्रयोग कर संघ के दैनिक काम-काज को शत-प्रतिशत निष्पादित करना हमारा नैतिक एवं संवैधानिक दायित्व है ।

आयोग के कार्मिक अपना दैनिक सरकारी काम-काज राजभाषा हिंदी में शत-प्रतिशत निष्पादित करने की वचनबद्धता को बनाए रखते हुए कलाकृति पत्रिका में अपनी लेखनी की प्रतिभा के माध्यम से जो रचनाएं प्रकाशित कर रहे हैं उसके लिए मैं उन्हे साधुवाद देती हूं तथा पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए शुभकामनाएं देती हूं ।

रुबी कौशल

सचिव

राजीव गौड़

सहायक सचिव (तकनीकी),दि.न.क.आ.

संदेश

भाषा-विचार संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम ही नहीं होती बल्कि राष्ट्र/समाज विशेष की सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों की वाहक बनकर उसकी अस्मिता का वरण भी करती है। किसी भी भाषा का उत्थान अथवा पतन समाज विशेष के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक परिवेश पर निर्भर करता है ।

पूर्णरुपेण विकसित एवं परिमार्जित हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है । संविधान की अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं का समावेश किया गया है । ये सभी भाषाएं अपने-अपने अंचलो की अस्मिता है । राजभाषा हिंदी इन सभी की अग्रज भाषा है तथा सभी को साथ ले चलने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है । सच्चे अर्थों में हिंदी भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं के सह आस्तित्व की सहयात्री है ।

मुझे आशा है कि यह पत्रिका पाठकों के लिए उपयोगी सिद्व होगी और कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में जहां एक ओर लेखन प्रतिभा बढ़ा कर उनके विचारों को मुखरित करेगी, वहीं दूसरी ओर उनमें अधिकाधिक सरकारी कार्य हिंदी में करने की प्रवृति भी विकसित करेगी।

राजीव गौड़

राजीव गौड़

सहायक सचिव (तकनीकी)

सरस्वती वंदना

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना ।
या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥

हे शारदे मां, हे शारदे मां,
अज्ञानता से हमें तार दे मां ।
तू स्वर की देवी ये संगीत तुझसे
हर स्वर तेरा हर गीत तेरा
हम हैं अकेले हम हैं अधूरे
तेरी शरण हम, हमें प्यार दे मां ।
हे शारदे मां, हे शारदे मां,
अज्ञानता से हमें तार दे मां।

मुनियों ने समझी गुनियों ने जानी
वेदों की भाषा पुराणों की वाणी ।
हम भी तो समझें, हम भी तो जानें
विद्या का हमको अधिकार दे मां ।
हे शारदे मां, हे शारदे मां,
अज्ञानता से हमें तार दे मां ।

तू श्वेतवर्णी कमल पर विराजे,
हाथों में वीणा मुकुट सिर पर साजे
मन से हमारे मिटा के अंधरे
हमको उजालों का संसार दे मां ।
हे शारदे मां, हे शारदे मां,
अज्ञानता से हमें तार दे मां ।

हिंदी लिखते समय कृपया ध्यान दें !

- पत्र लिखने में सरल हिंदी का प्रयोग करें ताकि उसे सभी आसानी से समझ सकें ।
- पत्राचार में आम शब्दों का ही अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए । हिंदी की बोलियों के प्रचलित शब्दों का प्रयोग करने मे हिचक नहीं होनी चाहिए ।
- अच्छी हिंदी जानने वाले कभी-कभी उन लोगों की कठिनाई नहीं समझ पाते जिन्होंने हाल ही में थोड़ी बहुत हिंदी सीखी है । ऐसे लोगों को इनकी कठिनाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए और अपने पांडित्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए ।
- हिंदी के वाक्यों में संस्कृत के कठिन शब्दों का अनावश्यक प्रयोग न करें तथा अंग्रेजी की वाक्य संरचना से बचें अर्थात वाक्य रचना हिंदी की प्रकृति के अनुसार ही होनी चाहिए । वह अंग्रेजी मूल का अटपटा अनुवाद नहीं होना चाहिए ।
- जहाँ कहीं भी यह लगे कि पढ़ने वाले को हिंदी में लिखे किसी शब्द या पदनाम को समझने में कठिनाई हो सकती है, तब कोष्ठक में अंग्रेजी रूपान्तर भी लिख देना उपयोगी रहेगा ।
- टिप्पण एवं प्रारूपण में अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों, जैसे-बैंक, चेक, गारंटी, पेंशन, पासबुक आदि को देवनागरी लिपि में लिप्यंतरित करके लिखना सभी के हित में होगा ।
- शब्दों में एकरूपता बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग अथवा अपने कार्यालय द्वारा बनाई गई प्रशासनिक शब्दावली का ही प्रयोग करें ।
- हिंदी के कार्य करने की शुरूआत छोटी-छोटी टिप्पणियों को हिन्दी में लिखकर करनी चाहिए ।
- अंग्रेजी में सोचकर हिंदी में नहीं लिखना चाहिए । कोशिश तो हिंदी में सोचकर हिंदी में लिखने की होनी चाहिए ।

हम इतना तो कर सकते हैं

- हिंदी में हस्ताक्षर करें ।
- हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में दे ।
- हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करें ।
- हिंदी भाषी राज्यों को भेजे जाने वाले लिफाफे पर पते हिंदी में लिखें ।
- परिपत्र, प्रशासनिक रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति, करार, निविदा प्रपत्र, निविदा सूचना को अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करें ।
- मुलाकाती कार्ड, रबर स्टाम्प, नाम पट्ट, डी ओ लैटर हैड दोनों भाषाओं (हिंदी और अंग्रेजी) में बनवाएं और उसका प्रयोग करें ।
- विभाग कवर, स्टेशनरी आदि पर कम्पनी का नाम द्विभाषी में ही दें ।
- हिंदी में हस्ताक्षरित अंग्रेजी के पत्रों का उत्तर भी हिंदी में ही दें ।
- उपस्थिति विवरण, जन्मदिन, बधाई पत्र, फार्म भरना इत्यादि काम हिंदी में करें।
- हिंदी प्रतियोगिताओं में भाग लें ।
- हिन्दी पुस्तकालय की पुस्तकों, समाचार पत्र व पत्रिकाओं का लाभ उठाएँ ।
- हिन्दी कार्ड की सहायता से छोटी-छोटी टिप्पणियाँ लिखने का प्रयास करें ।
- फाइलों के ऊपर विषय हिंदी-अंग्रेजी में लिखें ।
- अपने साथियों को हिंदी में काम करने की प्रेरणा दें ।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत निम्नलिखित दस्तावेज़ अनिवार्य रुप से द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेज़ी) में जारी किए जाएं

1) संकल्प
2) सामान्य आदेश
3) नियम
4) अधिसूचनाएं
5) प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट
6) प्रेस विज्ञपतियां
7) संसद के समक्ष किसी सदन या दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट
8) संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़
9) संविदाएं
10) करार
11) अनुज्ञप्तियां
12) अनुज्ञापत्र
13) टैंडर नोटिस
14) टैंडर फार्म

आयोग में राजभाषा की प्रतिबद्धता

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत आयोग में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को उत्तरोत्तर बल मिला है । राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की प्रगति को पराकाष्ठा तक पहुंचाने को प्रतिबद्धता के चलते जो कार्य किए जा रहे हैं उनमें से कुछ उल्लेखनीय बिंदु इस प्रकार हैं:-

- राजभाषा हिंदी कार्यों के निष्पादन के प्रति वचनबद्धता तथा कार्यों के निष्पादन में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों का ठोस विश्लेषण किया गया ।
- राजभाषा के संवैधानिक तथा नीतिगत पहलुओं के प्रति सभी कार्मिकों को जागरुक एवं समर्पित कर हिंदी में कार्य करने का माहौल तैयार करते हुए प्रभावी एवं व्यवहार कुशल कार्यशालाओं का आयोजन प्रत्येक तिमाही में किया जा रहा है।
- हिंदी में पत्र व्यवहार, टिप्पण एवं आलेखन के कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य शत-प्रतिशत प्राप्त किए जाने के प्रयासों के चलते 97% तक पत्राचार हिंदी में किया जा रहा है।
- कम्प्यूटर पर टंकण कार्य को सुनिश्चित करने के लिए यूनीकोड पर विशेषज्ञ आंमत्रित कर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया ।
- द्विभाषी वेबसाईट पर हिंदी के कार्यों को अद्यतन किया गया ।
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में आयोजित राजभाषा सलाहकार समिति की सभी त्रेमासिक बैठकों तथा माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में होने वाली हिंदी सलाहकार छमाही बैंठकों में लिए गए निर्णयों पर अमल किया जा रहा है, आयोग में राजभाषा हिंदी के कार्यों की समीक्षा की जा रही है ।
- दिल्ली नगर कला आयोग का यह संकल्प है कि राजभाषा हिंदी में शत-प्रतिशत कार्य करने के प्रयासों की ओर अग्रसर रहेंगे ।

संघ की राजभाषा नीति

किसी भी नीति के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार एक समयबद्ध योजना तैयार करती है और इस योजना के समयबद्ध रूप से कार्यान्वयन के लिए समुचित संसाधन मुहैया कराती है । इन सबके बावजूद यदि योजना समय से कार्यान्वित नहीं हो पाती है तो कहीं ना कहीं योजना को कार्यान्वित करने में हमारी प्रतिबद्धता, निष्ठा समर्पण आदि में कमी दिखाई देती है । राजभाषा नीति के कार्यान्वित के संबंध में भी किसी ने कहा है कि:-

संविधान की मान्यताओं से जन्मी राजभाषा नियमों, अधिनियमों से पुष्पित, पल्लवित राजभाषा वल्लरी(बेल) देश रूपी वाटिका में उस अपेक्षित फल की प्राप्ति नहीं कर सकी जिस की संकल्पना स्वतंत्रता के 70 वर्षों के पूर्व हमने की थी । राजभाषा नीति के संबंध में भी हमें विचार करना होगा कि संविधान के निर्माण के बाद आज लगभग 67 वर्षों के बाद भी कौन से कारण और अवरोध रहे कि हमारी राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा भरपूर प्रयासों के बावजूद भी हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी ।

उपर्युक्त तथ्यों को जानने के लिए हमें संघ की राजभाषा नीति के प्रत्येक पहलू पर विचार करना होगा और समझना होगा कि वास्तव में संघ की राजभाषा नीति क्या है और कौन से ऐसे कारक हैं जिससे हम राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में अपेक्षा के अनुसरन सफल नहीं हो पा रहे हैं।

सर्वप्रथम तो हमें याद होना चाहिए कि 14 सितंबर सन् 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी इस देश की राजभाषा होगी । जिसकी लिपि देवनागरी होगी। तत्पश्चात हमारा संविधान1950 में बना और तब से संविधान में राजभाषा हिंदी के प्रावधानों को शामिल किया गया । संघ की राजभाषा नीति को उल्लेख राजभाषा से संबंधित अधिकतर पुस्तकों में मिल जाएगा। मेरा यह कहना है कि हम समझे की इस नीति निर्धारण में एक सम्यक नीति क्या रही है ? राजभाषा नीति के संबंध में दिए गए संवैधानिक प्रावधान तथा इस दिशा में किए गए प्रयासों पर हम अवलोकन करें तो मोटे तौर पर संघ की राजभाषा नीति की निम्नलिखित 39 मदों पर प्रावधान मिलेंगे। ये वे 39 मदें है जिनसे परिचय हो जाने के बाद में इस नीति के संबंध में एक स्पष्ट खाका तैयार हो जाता है और हम इस नीति से कमोबेश परिचित हो जाते हैं ।

भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा नीति का वर्णन संविधान के भग-5, भाग-6 और भाग-17 में किया गया है। इसके पश्चात राजभाषा अधिनियम 1963 (यथासंशोधित 1967) लागू किया। राजभाषा संकल्प 1968 पारित किया गया। इस दौरान महामहिम राष्ट्रपति ने वर्ष

1952,1955 और 1960 में राजभाषा के संबंध में अपने आदेश जारी किए। राजभाषा नियम 1976 बनाए गए। अत: यह सब मिलकर निम्नलिखित 39 मदें हैं।

क्र.सं.	मदें	भाग	संख्या
1.	भाग-5 अनुच्छेद 120(1)	भाग-5 संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा	1
2.	भाग-5 अनुच्छेद 210(1)	भाग-6 विधान मंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा	1
3.	भाग-5 अनुच्छेद 343 से351(1)	भाग-17	09
4.	राजभाषा अधिनियम	कुल 9 धाराएं	09
5.	राष्ट्रपति आदेश	1952,1955,1960	03
6.	राजभाषा संकल्प 1968	04 प्रावधान	04
7.	राजभाषा नियम 1976	12 नियम	12
		कुल योग	39

उपर्युक्त इन 39 मदों पर मदवार चर्चा संक्षेप में निम्नलिखित प्रकार से द्रष्टव्य है :-

राजभाषा संबंधी सांविधानिक उपबंध

भाग-5

अनुच्छेद 120(1): संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा

भाग-17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा ।

विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा

भाग-6

अनुच्छेद 210:

भाग-17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य विधानमंडल में कार्य, उस राज्य की राजभाषाया राजभाषाओं व हिंदी और अंग्रेजी में किया जाएगा ।

अनुच्छेद 347 : किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध

किसी राज्य की जनसंख्या के एक हिस्से द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में, उस भाषा के प्रयोग के लिए शासकीय अनुमति, राष्ट्रपति, एतद्संबंधी मांग किए जाने पर, अपनी संतुष्टि के बाद दे सकता है।

अनुच्छेद348-1(क): उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी।

अनुच्छेद 348-1(ख) : निम्नलिखित के मामले में प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा का होगा

संसद या विधानमंडलों द्वारा प्रत्येक सदन में पुर्न स्थापित सभी विधेयक, प्रस्ताव या उनके संशोधनों,सभीअधिनियम,अध्यादेश,विधि के अधीन अधिनियम सभी आदेश, नियम, विनिमय और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होंगे।

भाग-17

अनुच्छेद 343(1) : संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी

संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

अनुच्छेद 343(2) : संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक की अवधि तक अंग्रेजी का प्रयोग उन सभी शासकीयप्रयोजनों के लिए किया जाता रहेगा जिनके लिए ऐसा प्रयोग, ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले तक किया जा रहा था । राष्ट्रपति, इस अवधि के दौरानअंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी का और अंतर्राष्ट्रीय अंकों के अतिरिक्त देवनागरी अंकों का प्रयोग अधिकृत कर सकेंगे ।

अनुच्छेद 344(1) : राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति

संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा जिसमें एक अध्यक्ष और अष्टम अनुसूची की विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधि सदस्य होंगें। 07 जून 1055 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया । श्री बी.जी. खेर इस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए।

अनुच्छेद 344(2) : आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा का अधिकारिक प्रयोग एवं अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निबंधन की सिफारिश करें ।

अनुच्छेद 344(3) : सिफारिशें देते समय आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नतिका और लोकसेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा ।

अनुच्छेद 348(2) :

किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से,संबंधित राज्य में स्थापित उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों के लिए हिंदी भाषा का या उस राज्य की किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा ।

अनुच्छेद 348(3) :

किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा यदि अंग्रेजी से इतर किसी अन्य भाषा का प्रयोग, राज्य विधानमंडल में पुन:स्थापित विधेयकों, अधिनियमों या राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश आदि के लिए किया गया है तो उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से, राज्य के राजपत्र में प्रकाशित उस भाषा का अंग्रेजी रूपांतर ही उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

अनुच्छेद 349: भाषा के संबंध में कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया

अनुच्छेद 348(1) के अधीन किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिये उपबंध कहने वाला कोई विधेयक किसी अन्य भाषा को प्राधिकृत करने के लिए संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना पुर्न स्थापित नहीं किया जा सकेगा और राष्ट्रपति अपनी अनुमति राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद ही देगा।

अनुच्छेद 350 : अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं

(क) प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यकया उचित समझता है

अनुच्छेद 344(4) : में किए गए उपबंध के अनुसार संसदीय समिति का गठन 3सितंबर1957 को श्री गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में किया। इस समिति में लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे।

अनुच्छेद 344(5) : इस प्रकार से गठित समिति, उक्त आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करेगी और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन देगी ।

अनुच्छेद 345 : राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं

राज्य विधानसभा, अनुच्छेद 346 और 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विधि द्वारा राज्य के शासकीय प्रयोजनों के उस राज्य में प्रयोग में आने वाली भाषाओं में से किसी एक भाषा को या हिंदी, उस राज्य की राजभाषा बना सकती है।

अनुच्छेद 346 : एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीचया राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा

संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तद्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी। दो या दो से अधिक राज्य आपसी करार के द्वारा हिंदी को परस्पर पत्राचार की भाषा बना सकते हैं।

अनुच्छेद 351: हिन्दी भाषा के विकास हेतु निदेश

संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएं, उसका विकास करें जिसके हिंदी भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैलीऔर पदावली को आत्मसात करते हुए और जहां अवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए

अनुच्छेद 350: विशेष निदेश

व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन,संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में दिया जा सकेगा।

भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी

अनुच्छेद 350(ख)(1): भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा ।

अनुच्छेद 350(ख)(2): नियुक्त विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करें और विनिर्दिष्ट अंतराल पर प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दें । राष्ट्रपति इन प्रतिवेदनों को संसद मेंरखवाएगा तथा संबंधित राज्य की सरकार को भिजवाएगा ।

राष्ट्रपति का आदेश 1960

1955 में संसदीय समिति गठित की गई जिसने 4 फरवरी 1959 को अपना प्रतिवेदन दियाजिस पर राष्ट्रपति द्वारा 1960 में आदेश जारी किया :–

(1) वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन
(2) मैनुअल, संवैधानिक नियमों व अन्य दस्तावेजों के अनुवाद हेतु एक ब्यूरो का गठन
(3) मानक विधि शब्दकोश का निर्माण

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का गठन

राष्ट्रपति का आदेश 1963

इस अधिनियम का अधिनियम 10 मई 1967 को किया गया जिसमें सरकारी कामकाज में हिंदी के बारे में प्रावधान किए गए ।

संशोधान 1967

संशेधान 1967 के अनुसार यह भी प्रावधान किया

मुख्यत: संस्कृत से और गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें।

संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मीलित भाषाएं

प्रारूप संविधान की अनुसूची में केवल 13 भाषाएं थी। संविधानसभा ने इस में संस्कृत को जोड़कर 14 भाषाएं कर दी। 1967 में संविधान के 21वें संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को शामिल कर 15 भाषाओं को स्थान दिया गया ।1992 में संविधान के संविधान 71वें संशोधन द्वारा कोकंणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। संसद द्वारा 22 दिसंबर 2003 को पारित 100 वें संविधानसंशोधन मैथिली,डोगरी, बोडो और संथाली भाषा को शामिल किया गया और आज आठवी अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। जो निम्नलिखित है :-

(1)असमिया, (2)उड़िया, (3)उर्दू (4)कन्नडा,(5)कश्मीरी(6)गुजराती (7)तमिल (8)तेलगू (9)पंजाबी(10)बंगला (11)मराठी (12)मलयालम (13)संस्कृत(14)सिंधी (15)हिंदी (16)कोकंणी (17)नेपाली(18)मणिपुरी (19) मैथिली(20)डोगरी (21)बोडो और (22)संथाली ।

आदेश – 1952

(क) राष्ट्रपति का आदेश, 1952

विधि मंत्रालय को दिनांक 27 मार्च, 1952 की अधिसूचना संख्या एस.आर.ओ.ए.कीप्रतिलिपि□राष्ट्रपति का निम्नलिखित आदेश आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

सी.ओ.41

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के खण्ड (2) के पुरन्तु द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी गया कि अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के साथ-साथ जारी रहेगा।

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1)यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम राजभाषा अधिनियम'1963'कहा जा सकेगा ।

2.परिभाषाएं

(क)नियत दिन से धारा 3 के संबंध में जनवरी 1965 का 26 वां दिन अभिप्रेत है।

(ख)'हिंदी' से वह हिंदी अभिप्रेत है जिसकी लिपि□ देवनागरी है।

2.धारा 3(3)

(i)संकल्पों,साधारन आदेशों,नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिकया अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में/के या नियंत्रण में/के किसी नियम या कंपनी द्वारा या ।

(ii)संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गएप्रशासनिकतथा अन्य प्रतिवेदनों और राज्यकीय कागज-पत्रों के लिए।

(iii)केंद्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में/केयानियंत्रण में/के किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगमया कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं औरकरारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा-प्रारूपों के लिए प्रयोग में लाई जाएगी।

4. राजभाषा के संबंध में समिति

इस समिति में 30 सदस्य होंगे जिनमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होगें, जो क्रमश: लोकसभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत

भाषा का और भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के अतिरिक्त अंकों के देवनागरी स्वरूप का प्रयोग संघ के निम्नलिखित राजकीय प्रयोजनों के लिए अर्थात्-

(1) राज्यों के राज्यपालों
(2) उच्चतम न्यायाल के न्यायाधीशों और
(3) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के अधइपत्रों के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

राष्ट्रपति का आदेश 1955

हिंदी के प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति ने 1955 में एक आदेश पारित किया जिसमें अंग्रेजी भाषा के अतिरक्ति हिंदी भाषा का प्रयोग निम्न से संबंध में लागू किया –

(1) जनता के साथ पत्र व्यवहार
(2) प्रशासनिक रिपोर्ट
(3) सरकारी संकल्प और विधायी अधिनियम
(4) हिंदी अपनाने वाले राज्य के साथ पत्र व्यवहार
(5) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के प्रतिनिधियों को जारी दस्तावेज

7. उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग

किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य, के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय,डिक्री या आदेश(अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित या दिया जाता है वहां उसकेसाथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा।

8. नियम बनाने की शक्ति

द्वारा निर्वाचित होंगे ।

5.केंद्रीय अधिनियम आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद

संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का, हिंदी में अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

6. अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद

जहॉ किसी राज्य के विधानमंडल ने उस राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिंदी से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां, संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त, उसका हिंदी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में, उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से, नियत दिन को या उसके पश्चात प्रकाशित किया जा सकेगा और ऐसी दशा में किसी अधिनियम व अध्यादेश का हिंदी में अनुवाद हिंदी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

2. परिभाषाएं

(क) अधिनियम से राजभाषा अधिनियम1963 अभिप्रेत है।

(ख) कर्मचारी से केंद्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

3. राज्यों आदि और केंद्रीय सरकार के कार्यालयों भिन्न् कार्यालयों के साथ पत्रादि

केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र'क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय(जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति का पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिंदी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा ।

केंद्रीय सरकार इसअधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

9. कतिपय उपबंधों का जम्मू-कश्मीर में लागू न होना

धारा 6 और धारा 7 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य को लागून होंगें ।

राजभाषा संकल्प 1968

संकल्प

1. अनुच्छेद 343 के अनुसार, हिंदी के संघ की राजभाषा रहने तक अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों का माध्यम बन सके।

2. हिंदी के प्रसार-विकास की गति बढ़ाने तथा संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोत्तर प्रयोग के संबंध में भारत सरकार, व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगी और उसे कार्यान्वित किया जाएगा।

3. **त्रिभाषा सूत्र :** हिंदी-भाषा क्षेत्रों में, हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए, औरअहिंदी-भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी के अध्ययन के लिए इस सूत्र के अनुसार प्रबंध किया जाना चाहिए ।

4. संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं का माध्यम अष्टम अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं का वैकल्पिक माध्यम :

विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़ कर जिनके लिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन के हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिंदी अथवा दोनों जैसीकि स्थिति हो, का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा

4.केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि

(क) केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित अनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर आधारित करें ।

5.हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर

नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी, हिंदी में पत्रादि के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिए जाएंगे।

6. हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुंनिश्चित कर लें कि किसी दस्तावेज की प्रतियाँ हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार की जाती है, निष्पादित की जाती है और जारी की जाती है।

7.आवेदन, अभ्यावेदन आदि

कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है।

8.केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणी का लिखा जाना

(1)कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं कीजाएगी कि वह उसका

जाए, संघ लोक सेवा आयोग अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक ज्ञान अनिवार्यत: अपेक्षित होगा।

राजभाषा नियम 1976

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 की उपधारा 4 के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ

यह नियम तमिलनाडु को छोड़कर पूरे देश पर लागू होंगें । राजभाषा नियमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों का वर्गीकरण क, ख एवं ग क्षेत्रों में किया गया ।

अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करें।

(2)केंद्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं ।

(3)यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग का । कार्यालय का प्रधान उसका भी निश्चय करेगा ।

9. **हिंदी में प्रवीणता**

- मैट्रिक या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की हो।
- स्नातक या उच्च परीक्षा में हिंदी एक वैकल्पिक विषय लिया हो।
- नियमों से उपाबद्द प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है।

10. हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान के लिए

- मैट्रिक या उच्च स्तर परीक्षा हिंदी विषय के साथ पास की हो।
- केद्रीय हिंदी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत प्राज्ञ परीक्षा पास कर ली हो।
- नियमों के साथ उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है।

11. मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य लेखन सामग्री आदि

(क) केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वालेरजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी में होंगें ।

(ख) केंद्रीय सरकार के कृषि कार्यालय में प्रयोग के लिए सभीनामपट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी जाएगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होगी।

12. **अनुपालन का उत्तरदायित्व**

(1) केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह

(i) यह सुनिश्चित करें कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उपनियम

(2) के अधीन जारी किए गए निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है।

(ख) अन्त में संघ की राजभाषा नीति के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि:-

भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर यह संकल्पना की गई थी कि स्वाधीन भारत में सरकारी काम-काज की यह भाषा होगी। स्वतन्त्रता के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हिन्दी इस देश की राजभाषा होगी जिसकी लिपि देवनागरी होगी। तदोपरान्तसंविधान में यह व्यवस्था की गई कि संविधान लागूहोने के 15 वर्षों तक हिन्दी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा और यह आशा वक्त की गई कि 15 वर्षो के बाद अंग्रेजी का स्थान पूरी तरह से हिन्दी ले लेगीऔर अंग्रेजी पूर्ववत् की तरह संघ के काम-काज की भाषा नहीं रहेगी ।

भाषा का प्रशन बड़ा संवेदनशील प्रशन है। भाषा में किसी भी समाज और राष्ट्र को जोड़ने और तोड़ने की दोनों शक्तियां संभावना के रूप में निहित होती हैं। भारत सरकार ने शायद भाषा की दोहरी शक्ति को पहचानते हुए तथा देश के मुट्ठी भर लोगों की राजभाषा हिन्दी के प्रति नकारात्मक मानसिकता को समझते हुए सरकार ने15 वर्ष पूरे हों इससे पहले ही राजभाषा अधिनियम 1963 लागू कर दिया गया। राजभाषा 1963 से एक ओर राजभाषा हिन्दी के लिए संसदीय राजभाषा समिति आदि प्रावधान कर उसके उत्तरोत्तर प्रयोग को सुनिश्चत करने की दिशा में

पहल की गई तो दूसरी तरफ धारा 3(3) लागू कर राजभाषा के लिए द्विभाषिकता अर्थात् राजभाषा हिन्दी को संघ के कामकाज की अनुवाद की भाषा बनाकर राजभाषा को अभिशप्त बना दिया गया । इससे एक ओर कुल वरिष्ठ अधिकारियों को राजभाषा हिन्दी में स्वयं कार्य न करने और अनुवादकों की सेना से हिन्दी का कार्य करवाने का एक सुनहरा मौका मिल गया तो दूसरी ओर अंग्रेजी को अनंत काल तक राजभाषा हिन्दी के साथ सह राजभाषा बनने का आशीर्वाद दे दिया गया। अपेक्षा यह है कि भारत सरकार कम से कम 'क' क्षेत्र में इस द्विभाषिकता की नीति को एक समय सीमा के अन्दर समाप्तकर केवलहिन्दी में काम करने के लिए राजभाषा अधिनियम1963 में संशोधन कराए ताकि कम से कम 'क' क्षेत्र में इस द्विभाषिकता से निजात मिले। इससे भारत सरकार का अनुवाद में लगने वाला समय और व्यय दोनों में ही बचत होगी और हिन्दी कम से कम 'क' क्षेत्र में द्विभाषिकता के अभिशाप से मुक्त भी हो सकेगी। राजभाषा संकल्प में 'त्रिभाषासूत्र' का प्रावधान जिसे आज सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सका। इसी प्रकार नियम1976 पर में पुर्नविचार की आवश्यकता है ताकि कुछ नियमों में संशोधन कर इस दिशा मेंआगे बड़ा जा सके। राजभाषा नियम 1976 का नियम 4(1) एक मंत्रालय या विभाग दूसरे मंत्रालय या विभाग से पत्राचार हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है औचित्यपूर्ण नहीं है।

डा. पी.एस.एन.राव, अध्यक्ष,दि.न.क.आ.
सरफेसिस पत्रिका में छपा लेख

राष्ट्रीय महत्व के स्कूल ऑफ प्लॉनिंग एण्ड आर्कीटेक्चर (एस.पी.ए.) जैसे किसी संस्थान के निदेशक का पद हो अथवा सबसे अधिक बिकने वाली चार पुस्तकों के लेखक - डा. पी.एस.एन. राव अपने में उत्कृष्ठ/सर्वोत्तम कार्य के लिए जाने जाते हैं । महान शिक्षक, योग्य वास्तुकार, सिविल इंजिनियर तथा पेशे से नगर नियोजक, दिल्ली नगर कला आयोग (दि.न.क.आ.), भारत सरकार,के अध्यक्ष भी हैं । 30 वर्षों के अनुभव के दौरान डा. राव ने विभिन्न राष्ट्रीय तथा अतंराष्ट्रीय एजंसियों के लिए कई शोध तथा व्यवसायिक कार्य किए - इसके साथ आपको 100 प्रकाशनों से अधिक का श्रेय जाता है। # सरफेसिस रिपोर्टर को नवीन जन कला नीति, भवन उपनियम, एतिहासिक संरक्षण तथा और विस्तार के भावी स्वरुप पर चर्चा हेतु विशेषज्ञों के साथ विचार साझा करते हुए, हर्ष हो रहा है ।

डा. प्रो0 पी.एस.एन.राव, अध्यक्ष,दिल्ली नगर कला आयोग

मेरा स्वप्न, शहर को स्वच्छ, हरित,सुंदर तथा समावेशी रुप में देखना है।

क्या दि.न.क.आ. राष्ट्रीय राजधानी के निर्माण में सहायक की भूमिका निभा रहा है ?

दिल्ली नगर कला आयोग, भारत सरकार का परामर्शी निकाय के रूप में कार्य करता है । आयोग नीति सलाहकार,नियामक निकाय तथा प्रबुद्ध मण्डल के रुप में त्रि-आयामी भूमिका निभाताहै। दि.न.क.आ. ने कई अध्ययन, सम्मेलन आयोजितकिए तथा राष्ट्रीय राजधानी के सौंदर्य परक विकास के कई महत्वपूर्ण विषयों को उठाया ।

" शहर में प्रसन्नता तभी आयेगी जब स्वच्छ हवा,जल, उत्तम रोड, खेल के मैदान, फुटपाथ,सुरक्षित जन परिवहन तथा नगर परिवेश में चंहुओर श्रेष्ठ सौंदर्य होगा ।

यह सब प्राप्त करने के लिए कई एजेसियों को एक दूसरे के साथ समंवय रखा जाना आवश्यक है ।"

गत वर्षों में दि.न.क.आ. की महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताएं ?

गत वर्षों में आयोग ने कई योगदान दिए ।ओ.पी.ए.एस. या इसे ऑनलाईन अनुमोदन प्रक्रिया कहा जाता है । यह नक्शों को वेबसाईट पर अपलोड किए जाने के लिए तीव्र, सुगम तथा पारदर्शी प्रक्रिया है ।इसमें प्रस्तावक को दि.न.क.आ. के कार्यालय में आने की और नाहीं भारी माड्ल बैठकों में लाने की आवश्यकता हैतथा 3 डी व्यूज़ को ऑनलाईन देखा जा सकता है । इससे पूर्व नागरिकों कोपरेशानी का सामना करना पड़ता था । इसके अतिरिक्त बैठकों की संख्यां माह में दो से बढ़कर चार हो गई है, इससे तीव्र अनुमोदन में सहायता हुई है।आयोग ने वेबसाईट पर अनुमोदन मानदण्डों को अपलोड कियाहै ताकि नागरिक मानदण्डों से अवगत हों जिनके आधार पर अनुमोदन दिए जा रहे हैं । इसके साथ बैठकों के सभी कार्यवृत और कार्रवाई को वेबसाईट पर डाला जाता है ताकि पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके ।

सौजन्य : सरफेसिस रिपोर्टर विशेष अंक मार्च 2019

आयोग की पत्रिका का विमोचन

अधिकारिक भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करने और कर्मचारियों को अपनी रचनात्मक प्रतिभा को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करने की दृष्टि से, दिल्ली नगर आयोग ने 'कलाकृति' शीर्षक से फरवरी 2019 को पत्रिका का विमोचन किया । इस अवधि का पहला अंक आयोग द्वारा जारी किया गया ।

है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी

हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा और लिपि है नागरी. मेतली शरण गुप्त.

माननीय आवासन और शहरी कार्य राज्यमंत्री (स्वतत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी जी की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में 29 मार्च 2019 को विज्ञान भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में आयोजित की गई ।

राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, मेरा यह मत है कि हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्र भाषा हो सकती है और होनी चाहिए...महात्मा गांधी

आयोग ने 21.06.2019 को योग दिवस मनाया ।

लोग अपनी-अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए,
सामान्य भाषा के रुप में हिंदी को ग्रहण करें

दिल्ली नगर कला आयोग, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में अपने कार्यालय की दैनिक गतिविधियों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए आयोग एकदिवसीय हिंदी संगोष्ठी का आयोजन दिनांक 27 सितम्बर 2019 शुक्रवार को किया गया।

नीला आसमां खो गया

आसमां जो नीला था कभी, आज नीला वो नहीं

प्रदूषण ने अपने विकराल धुएं की चादर ने, रंग बदल डाला है इसका.

अब नीला रगं नज़र नहीं आता, कुछ मैला मट्मैला सा दिखता है,

पहले जो तारे टिम टिम करते थे, वो भी जा छिपे कहीं,

ना छत पर सोता कोई, ना टूटते तारे से मन की बात कहता कोई ,

प्रदूषण ने आसमां को धुआं धुआ कर दिया,

तो क्या चदां मामा भी कलयुगी मामा की तरह नज़र चुराने लगेगें,

सूरज चाचू भी अनजान हो अपनी पहचान बदल देगें.

नहीं होने देगें हम, प्रदूषण को रोक कर वापस लाएगें नीला आकाश,

अपने टिम टिम करते तारे, चंदा मामा प्यारा, सूरज चाचू न्यारे

उफनते दूध को जैसे पानी के छीटें शांत कर पाते हैं,

प्रदूषण के गुब्बार को बरसात की बूदों से शांत करो.

कारे मेघा छीटें दो पानी के, धरा को प्रदूषण मुक्त करो..

कल्पना देवानी, दिल्ली नगर कला आयोग

मां

तिनका तिनका जोड़कर,
अपना संसार बनाया तुमने । ।
अपने तन के सुंदर पौधे पर
हम बच्चों को फूलों सा सजाया तुमने । ।
हमारे सुख दुख उठाए और
हमारी खुशियों में अपना सुख ढूंढा तुमने ।।
हमारे लिए लोरियां गाकर
सपनों में सपने सजाए तुमने ।।
हम बच्चे अपनी राह चलते गए
तुम दूर खडी तरक्की की दुआ करती रही ।।
हम समझते रहे अपनी मेहनत का फल
यह ना समझे,मां की दुआओं में है दम ।।
विदेश में जाकर बस गए ,
मोबाइल पर हाल सुन कर मन बहलाती है ।।
पोते की तोतली बोली ,आखों में आसूं लाती है ।।
उसकी फोटो और वीडीयो सब को दिखला कर इठलाती है,
बच्चे के संग कुछ देर के लिए खुद भी बच्चा बन जाती है ।।
वीडियो चैट कर सारी थकान मिट जाती है,समय ने करवट बदली ।।
फिर बहू/बेटी मां बनती है,
इतिहास खुद को दोहराता है ।।
दुबारा मां अपना प्रतिरुप,बच्चों में देखती खुश होती
वक्त का पहिया चलता रहता ।।
समय बदलता रहा, बच्चे बदले,
ना बदली तो मां ना बदली ।।
ना बदली तो मां ना बदली ।।

कल्पना देवानी,अनुवादक

मेट्रो का सफर

आजकल मे सेवानिवृत् हूँ इसलिए मेट्रो से आता जाता हूँ
सडकों पे बढ़ती भीड़ से घबराता हूँ
आमदनी कम है इसलिए मेट्रो से सफर करता हूँ
पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से डरता हूँ
मेट्रो का सफर बड़ा ही निराला है
भीड़ अधिक हो तो अंग्रेज़ी का सफर अनुभव करवाता है
बुज़ुर्गो के सीटों पे अक्सर नौजवान तैनात नज़र आते हैं
और महिलाओं के सीटों पे मुश्टंडे आराम फरमाते हैं
आँख बंद सोने का भान करते हैं
कोई उन्हें उठा ना दे सो चुपचाप पड़े रहते है
मेट्रो जब खाली हों तो युवा इश्क फरमाते नज़र आते है
और अगले दिन उनके वीडियो क्लिप यू टयूब पे दर्शाए जाते है
बुज़ुर्गो वाली सीटों से दूर ही रहता हूँ
अपनी उम्र जताते हुए हिचकिचता हूँ
कि दिल्ली नगर कला आयोग ने सेवानिवृत्त का एहसास होने न दिया
रगों में बचे जवानी के खून को सोने न दिया
बाबुओं को नौ बजे तक दफ्तर पहुचाने में मेट्रो का बड़ा नाम है
इसका देश की प्रगति में बढ़ा योगदान है
तो अब से आप भी मेट्रो का आनंद लीजिए
और बढ़ते प्रदूषण को रोकने मे अपना योगदान दीजिए

अमित मुखर्जी,कनसल्टंट

हिंदी को गंगा नही बल्कि समुद्र बनना होगा
आचार्य विनोबा भावे

पोर्ट ब्लेयर- यात्रा वृतांत

अगर हर दिन घर से ऑफिस और ऑफिस से घर की रूटीन से आपकी लाइफ में बोरियत आ गई है तो वक्त है कुछ दिनों का ब्रेक लेकर कहीं छुट्टियां मनाने का और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से बेहतर जगह और कौन सी हो सकती है। दक्षिणी अंडमान आइलैंड पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर जहां पहुंचकर आपको बीचेज और तटरेखा के अलावा बेहतरीन आदिवासी कल्चर को भी देखने का मौका मिलता है। इसके अलावा आप अबरदीन बाजार से कोरल आर्टफैक्ट्स खरीद सकते हैं, वॉटर स्पोर्ट्स ऐक्टिविटीज जैसे-स्कूबा डाइविंग, स्नोरकेलिंग, डीप सी डाइविंग और ओशन वॉक को भी इंजॉय कर सकते हैं।

पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के लिए हमने हवाई मार्ग का इस्तेमाल किया। कोलकाता और चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए नियमित फ्लाइट्स मौजूद हैं। यहां जाने के लिए भारतीयों को तो किसी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं होती लेकिन विदेशियों और एनआरआई लोगों को यहां पहुंचने पर प्रोटेक्टेड एरिया परमिट (PAP) लेना पड़ता है जो पोर्ट ब्लेयर में 30 दिन के लिए वैलिड होता है।

सबसे पहले सभी अधिकतर**सेलुलर जेल जाते है जो कि पोर्ट** ब्लेयर मे ही है। **सेलुलर जेल, पोर्ट ब्लेयर**अंग्रेजों के जमाने में आपने काला पानी की सजा के बारे में जरूर सुना होगा। पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल को ही काला पानी कहते हैं और यह पोर्ट ब्लेयर की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। जेल ब्लॉक के अंदर घूमें तो देखा कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कहां और कैसे बंद कर रखा जाता था। सेलुलर जेल के अंदर वीर सावरकर सेल, नेताजी गैलरी आदि देखते ही मन सिहर जाता है देख कर कि कितनी यात्नाऐं दी जाती थी और कितनी खराब हालातों मे रखा जाता था। साथ ही शाम के वक्त इसी सेलुलर जेल में लाइट ऐंड साउंड शो का भी आयोजन होता है जिसमें सुनाई गई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी सुन कर हमारी आंखों में आंसू आ गए।

पोर्ट ब्लेयर स्थित म्यूजियम में कई अलग-अलग भाग हैं जिसमें हमने ट्राइबल हिस्ट्री, मरीन लाइफ और कई दूसरी चीजों के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल की । हमने समुद्रिका मरीन म्यूजियम में आईलैंड के आर्टिफैक्ट्स देखे और मानवशास्त्रिय म्यूजियम में आदिवासी भित्ति-चित्रों (tribal murals) को वहीं फिशरीज म्यूजियम में समुद्र के नीचे पाए जाने वाले जीव जंतुओं की ढेरों प्रजातियों को भी देखा। वहां पर हमने समुद्री खाने का मज़ा भी लिया ।

समुंद्र किनारे (बीच) पर बैठकर सूर्यास्त का बेहतरीन नजारा देखने के साथ-साथ चिड़िया टापू जाकर हमने बर्ड वॉचिंग का भी लुत्फ उठाया । दुनियाभर से चिड़ियों की अलग-अलग प्रजातियां यहां आती हैं और उन्हें एक साथ देखने का मजा ही कुछ और है। हालांकि बर्ड वॉचिंग का बेस्ट टाइम सुबह का वक्त है जब ये पक्षी सबसे ज्यादा ऐक्टिव रहते हैं। पोर्ट

ब्लेयर के आस पास छोटे छोटे आइलैंड है जहॉ पेर फेयरी से ही जाया जाता है जैसे हवेलोक्क स्कुअरे आइलैंड, नील आइलैंड आदि बहुत छोटे एरिया मे फेले ये आइलैंड बहुत ही सुंदर है। चारो तरफ पानी ही पानी । इन्हे नैचुरल तरीके से विकसीत किया गया है।पोर्ट ब्लेयर का मशहूर नील द्वीप दक्षिण अंडमान प्रशासनिक जिले का एक प्रमुख हिस्सा है जोकि बंगाल की खाड़ी में रिची के द्वीपसमूह के निकट स्थित हैं। हालाकि विशाल महासागर के एक हिस्से की वजह से यह रॉस द्वीप और हैवलॉक द्वीप से अलग होता हैं। हैवलॉक द्वीप पर राधा नगर बीच का पानी इतना साफ था की नीचे की रेत साफ दिखती है यह बीच एशिया का सबसे साफ बीच माना जाता है। हम लोगो ने नील द्वीप पर भी एक दिन का समय बिताया। नील द्वीप के तीन रेतीले समुद्र तट भरतपुर, सीतापुर और लक्ष्मणपुर इसके सबसे प्रमुख आकर्षण हैं।

सभी आइलैंड पर बडी अजीब सी बात देखी सुबह पानी एक दम सतह के किनारे पर होता है और दिन होते होते पानी करीब 2-3 की.मी पीछे चला जाता था। बीच पर हम सुबह सुबह 5बजे ही चले जाते थे । इतना मनोरम द्रश्य ओर एक दम शांती दूर तक पानी ही पानी मन एक दम शांत हो जाता है, दिल्ली के शोर से दूर आप एक दम रिलैक्स हो जाते हो। मैं शायद इस ट्रिप को कभी नही भूल पाऊगीं।

बाजार से खरीदारी तो दिल्ली वासीयों को बेहद पसंद होती है और अगर आप बार्गेनिंग करने में एक्सपर्ट हैं तो पोर्ट ब्लेयर के अबरदीन मार्केट में जहां आप गर्वनमेंट एम्पोरियम्स के साथ ही रोड साइड स्टॉल्स से भी यादगार के तौर पर ढेरों चीजें खरीद सकते हैं जैसे-कपड़े, लकड़ी के आर्टिफैक्ट्स, जूलरी, पोर्ट ब्लेयर टी शर्ट, पर्ल जूलरी, सीप से बनी सजावटी चीजें, नारियल से बने लैंपशेड्स, चूड़ियां आदि। हमने भी काफी सारा सामान अपने दोस्त और रिश्तेदारो के लिए खरीदा। यहॉ पर आम, केले, अनानास, अमरूद और नारियल के फलो की चाट हम लोगो को बहुत पसंद आई।

पोर्ट ब्लेयर की नाइट लाइफ भले ही गोवा जैसी हैपनिंग ना हो लेकिन यहां भी कई लग्जरी रिजॉर्ट्स और होटल्स रात के वक्त लाइव बैंड, कॉकटेल और टेस्टी फूड, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यंजन के जरिए यहां आने वाले टूरिस्ट्स का पूरा मनोरंजन करने की कोशिश करते हैं।

मेरा अनुभव यह कहता है कि शहरों की भाग दोड़ से दूर एक साफ वातावरण, प्रदूषण रहित और शॉत माहौल मे एक बार अपनी जिंदगी मे यहॉ अवश्य जाना चाहिये।

उमा भाटी,वास्तुक सहायक

समझ आ गया, भाषाएं तो हैं अनेक.
मगर जन मानस की भाषा है केवल एक..
जन-जन की भाषा, मातृभाषा वही तो है हिंदी भाषा ।।

जीवन की लड़ाई

यह जीवन की लड़ाई जो मैनें लड़ी
यह घुटन, यातना, रातों का रोना,
अपने आप से बातें करना जिन्दगी
के हर मोड़ पर अकेले खड़े होना
यह सब किताबों में पढ़ते थे ।
परन्तु जब अपने-आप से ये लड़ाई
शुरू हुई तो समझ में आया कि जीवन
की सच्ची लड़ाई क्या होती है ।

जीवन का हर लम्हा किसी का हाथपकड़ कर चलना,
आज जीवन में अकेला चलना सीखा है मैंनें,
उस राह पर जहाँ जीवन किसी अपने केसाथ चलता था,
आज वही जीवन अकेले संघर्ष की राह पर चुपचाप चलते जा रहा है ।
जिन्दगी की राह के कांटो को अपने आप निकालना है मुझे ।
जीवन का संघर्षअभी लड़ना है मुझे ।

मेरे जीवन में बचपन आया बहुत सुन्दर परियों
की कहानी जैसा सुन्दर सा, परन्तु जब बड़े हुए तो
उस जीवन का अर्थ समझ में आया कि जीवन में
उतार-चढ़ाव क्या होते हैं, इसी कशमकश में जीवन
साथी मिलने पर जीवन स्वर्ग लगने लगा, लेकिन
शायद संघर्ष बाकी था, वो स्वर्ग, स्वर्गना रहा और
एक दिन काले बादल छाए, जीवन में अंधेरा हो गया,
अब तो यही पथ, जो अधेरों के साथ है,
शायद इसी को जीवन की लड़ाई कहा जाता है।

यह जीवन का अंत नहीं, अभी जीना है मुझे
अभी और आगे चलना है मुझे, जीवन की लड़ाई लड़नी है मुझे ।
उसके लिए जीना है, जो अंश है उसका परियों जैसा,
उसको सवांरना है मुझे, सपने जो उनकी आखों ने देखे और दिखाए मुझको,
मूर्तरूप देना है उनकों, जीवन की लड़ाई लड़नी है मुझको । ।

सुनीता रानी,उच्च श्रेणी लिपिक

प्रोत्साहन माह निबंध प्रतियोगिता के दौरान आयोग के कार्मिकों द्वारा लिखे गए पुरुस्कृत निबंध

यदि मैं कार्यालय प्रमुख होता

मान लिया जाए कि मैं दिल्ली नगर कला आयोग का प्रमुख हूँ । तो सबसे पहले कार्यालय प्रशासनिक कार्य की तरफ संगठन व कार्य करने की ओर सुव्यवस्थित और पारदर्शिता तथा कार्यालय के कर्मियों के साथ कार्य करने की ओर आकर्षित करता हूँ ।

जब तक कार्मिकों को अधिकारियों में तालमेल नहीं होता है । तो उस कार्यालय का कार्यसुचारू रूप से समय पर पूरा नहीं होता है। इसलिए सर्वप्रथम स्टाफ/कर्मचारियों के साथ तालमेल या एक दूसरे से मधुर सम्बंध होना अतिआवश्यक है ।

कार्यालय के प्रमुख को अपने कार्यालय में कार्य को पूरा सहयोग देना चाहिए। यदि कार्यालय बहुत बड़े स्तर का है। तो छोटे–छोटे अनुभागों में करके उनकी जिम्मेंदारी एक अनुभागों में बांट कर, अनुभाग अधिकारी के रूप में सौंप दी जाए । जिससे प्रमुख द्वारा दिया गया कार्य को पूरा होने की जिम्मेदारी उक्त अनुभाग अधिकारी की होगी । इस प्रकार समय पर कार्य पूरा होने तथा उत्तरदायी होने से अच्छा होगा ।

प्रमुख कार्यालय होने से उनकी जिम्मेदारी अधिक होने के कारण, कार्यालय समय पर पहुंच कर अपने कार्यालय से सभी कार्मिकों (स्टाफ) को समय (ड्यूटी) का निर्धारित समय पर कार्यालय पहुँचगें। इस प्रकार प्रमुख का समय से पहुचने से सभी कर्मचारी अपने प्रति एक अच्छा भाव पैदा होगा तथा प्रमुख (H.O.D.) सबसे पहले पहूँचने से उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा । जिससे एक दूसरे से परिचित व खुशहाली का माहौल पैदा होगा । इस प्रकार एक दूसरे से अच्छे सम्पर्क पैदा होते हैं। इस तरह का माहोल होने से पूर्व में दिया गया कार्य/व्यवहारिकता का एक दूसरे से मधुर वार्ता होने से अच्छे दिन की दिनचर्या प्रारम्भ होती है ।

कार्यालय प्रमुख होने के नाते सारी जिम्मेदारी प्रमुख की होती है । इसलिए समय-समय पर कार्यालय में कार्मिको (कर्मचारियों के) अनुभागों का निरीक्षण करना अतिआवश्यक है । किसी प्रकार छवि खराब होने की परिस्थिति तो नहीं होती है । कार्यालय सुरक्षा का ध्यान पूरी तरह रखना चाहिए। गेट पर आगन्तुकों के साथ स्वागत कक्ष पर बैठे व्यक्ति को सदा मधुर वाणी/सत्कार करने के लिए प्रेरित करें ।

समय-समय पर अग्नि सुरक्षा को (यंत्र) लगवाने तथा उनका निरीक्षण करवाते रहें। जिससे आवश्यकता होने पर उनका प्रयोग समय से किया जा सके । कार्यालय में स्वच्छ जल का प्रबंध होने की तरफ ध्यान दें आप अपने कर्मचारियों को स्वच्छ जीवन को खुशहाली के साथ व्यतीत करें ।

कार्यालय स्थिति इमारत के आस-पास स्वच्छ वातावरण तैयार करवाना चाहिए, जैसे अधिक से अधिक वृक्षों का रोपण करें । जिससे स्वच्छ हवा मिलेगी ।

कार्यालय प्रमुख होने के साथ-साथ कार्यालय में साफ-सफाई व अव्यवस्थित पड़ी फाइलों व अलमारी को अच्छी या उचित स्थान पर रखने के निर्देश दें ।साथ ही जब भी मौका (समय) मिले निरीक्षण अवश्य करें तथा स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहें । जैसे बहुत अच्छा, धन्यवाद आदि शब्दों से सम्बोधित करने से अपने सभी सहकर्मी को साहस व मनोबल बढ़ता है ।
धन्यवाद,

राजबीरसिह,हिंदी टंकक

हिंदी में संगठित करने वाली शक्ति है
हिंदी का प्रचार कार्य एक वायु यज्ञ है
काका साहिब गाडगिल

एक दिन मोबाईल के बिना

मानव और यंत्र का ऐसा रिश्ता इतिहास में पहले कभी नहीं सुना होगा कि जब यह दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो जाएं । अमेरिका की मिसूरी यूनिवर्सिटि के अध्ययन से यह बात सामने आई कि यदि कोई व्यक्ति अपने फोन को अपने से दूर रख दें तो उसके कार्य करने की क्षमता एवं गति बुरी तरह से प्रभावित होती है । मोबाईल फोन को दूर रखने से एक अजीब सी छटपटाहट एवं अकेलेपन का एहसास होने लगता है ।

मोबाईल केवल एक संवाद यंत्र है परन्तु आज इसने हमारे जीवन में अत्यन्त महत्वपूर्ण जगह बना ली है । मोबाईल ने इस तरह हमारे जीवन में पैठ बना ली है कि इसके बिना रहने से एकाग्रता खतम हो जाती है । अध्ययनकर्ताओं ने अपने एक अध्ययन में चालीस लोगों को कुछ पहेलियां सुलझाने के लिए दी । पहेलियों को सुलझाने में कुल लगे समय को नोट किया गया । बाद में उन्हें फिर से पहेलियां सुलझाने के लिए दी गई । परन्तु इस बार उनके मोबाईल फोन उनसे दूर रख दिए गए। मोबाईल फोन दूर रखने से पहेलियों सुलझाने में लगने वाला समय और ज्यादा हो गया। जैसे ही मोबाईल की घंटी बजी, ब्लड प्रेशर और दिल की धडकनों को तेज पाया गया । बात ना होने की दिशा में उनकी एकाग्रता नष्ट हो गई ।

उपर्युक्त अध्ययन से यह बात स्पष्ट होती है कि आज के युग में मानव और मोबाईल के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया है कि मानव मोबाईल के बिना अपने आपको दुनिया से कटा हुआ समझने लगता है । मोबाईल वक्त अनुसार आधुनिक तकनीकों से और भी बढ़िया यंत्र बनता जा रहा है । परन्तु अध्ययनकर्ताओं ने माइक्रोवेव एवं मोबाईल रेडिएशन के उपर अध्ययन कर यह बताया कि जिस तरह माइक्रोवैव रेडिएशन का दुष्प्रभाव उपयोग करने वाले पर पड़ता है उसी प्रकार मोबाईल रेडिएशन से कैंसर जैसे बीमारियां होती है ।

मोबाईल से लगातार 50 मिनट बात करने पर मोबाइल रेडिएशन से दिमाग के सेल्स नष्ट होने का खतरा बढ़ जाता है । यह सिर्फ Glioma एवं Aeristic Neuromas जैसे कैंसर ही पैदा नहीं

करता बल्कि दिमाग के सेल्स को नष्ट करके सोचने समझने की शक्ति एवं कान की सुनने की शक्ति पर भी बुरा प्रभाव डालता है ।

मोबाईल बेशक आज के युग में मानव के जीवन में अहम रोल निभा रहा है, परन्तु इससे बचाव बेहद जरूरी है । बचाव के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए :-

1. **<u>मोबाइल केस (कवर) :-</u>** मोबाइल को एक बढ़िया केस में लगाना चाहिए जिससे रेडिएशन का प्रभाव थोडा कम हो जाए ।
2. **<u>लाउड स्पीकर पर बात करना:-</u>** हमें हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए की बात लाउडस्पीकर पर करें ताकि मोबाईल हमारे शरीर से दूर रहे जिससे रेडिएशन हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव ना डाल सके ।
3. **<u>मोबाईल शर्ट की जेब में ना रखें:-</u>**

   मोबाईल शर्ट की जेब में रखने से दिल के बेहद करीब आ जाता है जिससे मोबाईल में से निकलने वाली रेडिएशन दिल का दौरा पड़ने की एक वजह बन सकता है, मोबाइल एक यंत्र है जो कभी भी विभिन्न कारणों से फट भी सकता है ऐसी स्थिति में जान को खतरा भी हो सकता है ।
4. **<u>मोबाईल को चार्ज करते समय एवं रात के समय सोते हुए मोबाईल को बंद करें:-</u>**

   रात को सोते समय मोबाईल बंद कर दें, इससे रेडिएशन आपको एवं आपके परिवार को हानि नहीं पहुचा पाएगा । चार्ज करते समय भी मोबाइल को बंद कर देना चाहिए एक अध्ययन में सामने आया कि मोबाईल की बैट्री ज्यादा गर्म होने की वजह से फट जाती है एवं आस पास बैठे लोगों को हानि पहुॅचा सकता है ।
5. **लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल :-**

जितना हो सके कार्यालय एवं घर पर लैंडलाईन फोन का इस्तेमाल करना चाहिए इससे आप मोबाईल रेडिएशन से ज्यादा से ज्यादा बच पाएंगें । मंत्री जावडेकर जी भी एक बार संसद से बाहर आते समय लैंडलाइन रिसिवर से अपनी कॉल उठाते एवं बात करते नजर आए।जब सभी लोग एवं इतने उच्च स्तर के लोग ऐसी सावधानियां बरत रहे हों तो सभी को मोबाइल रेडिएशन से बचाव करना चाहिए ।

आज का आधुनिक युग बेहद तकनीकी हो गया है एवं तकनीक के उस उच्च स्तर पर पहुॅच गया है जहॉ मशीन मानव का पर्यायवाची शब्द बन गया है जिसके बिना मनुष्य अपने आपको अधूरा महसूस करने लगा है ।

मोबाइल सिर्फ एक संवाद यंत्र है । परन्तु रोजमर्रा की तकनीकों के चलते एक से एक बढ़िया फोन बाजार में सस्ते दामों पर उपलब्ध है । जिसके कारण आज दुनिया भर में 100 मिलियन यूजर्स मोबाईल को रोजाना अपने प्रयोग में लाते है ।

मोबाईल हाथ में होने से दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस होता है भीड में भी लोग अपने मोबाइल पर लगे रहते है जिसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अपनो से जूड़े रहने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं वही यंत्र उन्हें अपनों से दूर ले जा रहा है । आजकल बच्चे अपनों से बात करने से अधिकसमय मोबाइल में गेम खेलने पर बिताते है जिसके कारण वह शारीरिक मेहनत नहीं करते एवं शुगर ब्लड प्रेशर आदि बिमारियों से ग्रसित हो जाते हैं । इसलिए अपने बच्चों को अधिकाधिक मोबाइल से दूर रखना चाहिएएवं उन्हें घर से बाहर खेले जाने वाले खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी शारीरिक एवं मानसिक तौर पर स्वस्थ हो सके ।

दीपक चंद्र बंदूनी, अवर श्रेणी लिपिक

मानव-मानव में भेद नहीं,कर्म धर्म महान है
समाजिक समता मनुष्य का ,जन्मसिद्ध अधिकार है।

स्वच्छता ही सेवा

स्वच्छता ही सेवा है :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर सभी ओर से स्वच्छता की गूंज का स्वर सुनायी देता है। उन्होने स्वच्छता अभियान सारे देश में चलाया तथा 2019 तक सब तरफ से गंदगी साफ करने के लिए कहा। महात्मा गांधी जी की बहुत इच्छा थी कि भारत को स्वच्छ बनाया जाए, लेकिन उनके सारे प्रयत्न यूं ही रह गए। पर अब नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्तूबर 2019 तक स्वच्छता अभियान चलाया है। स्वच्छता अभियान को स्वच्छता अभियान - 2013 का नाम भी दिया गया है। इस अभियान को 2019 तक स्वच्छ बनाना है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द:- हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द भी इस अभियान को चलाने में प्रयत्न कर रहें हैं। कानपुर के ईश्वरीय गंज में स्वच्छता के अभियान पर ज़ोर शोर से प्रयास किए गए हैं हिन्दी पखवाड़े के अवसर पर। राष्ट्रपति जी अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन जी के भाग लेने से बहुत ही प्रसन्न हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं पत्र लिखकर सभी अभिनेताओं से इस कार्य में मदद मांगी है। उनके ये सभी प्रयास सराहनीय हैं।

स्वच्छता का महत्व:- हमारे जीवन में साफ सफाई का बहुत महत्व है। हमारे दादा-दादी, माँ-बाप पूजा करने से उस जगह को पहले सफाई करके पूजा करने को प्रेरित करते हैं। इससे हम अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं। अपने आसपास सफाई रखने से पर्यावरण जैसे बाग, नदी, पार्क सभी की साफ-सफाई का ध्यान रखा जाता है। बाहर से सभी पर्यट्न जब हमारे देश में आते हैं तो वह लोग बहुत प्रसन्न होते हैं भारत देश में सफाई देखकर हमारा इम्प्रैशन भी अच्छा पड़ता है। हम सबको मिलकर भारत देश को शौचमुक्त और गंदगी से दूर भगाना ही हमारा ध्येय है।

मानसिक और शारीरिक स्वच्छता:- मानसिक और शारीरिक स्वच्छता होना भी बहुत ज़रूरी है जैसे नहाना, नाखून काटना, कमरों को व्यवस्थित व सुचारु रूप से स्वच्छ रखना भी हमारा कर्तव्य है। मानसिक तौर पर भी हम लोग अच्छा फील करते हैं। साफ सफाई एक अच्छी आदत है जो स्वच्छ पर्यावरण और आदर्श जीवन शैली के लिए हर एक के पास होनी चाहिए। हम सबको यह समझना चाहिए कि यह कार्य प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि ये समाज में रहने वाले हर इंसान का कर्तव्य है।

घर और स्कूलों से शुरुआत:- इसकी शुरुआत घर, स्कूलों, कालेजों, समुदायों से होनी चाहिए। बचपन में ही अभिभावक को स्वच्छता के बारे में बच्चों को समझना चाहिए कि कैसे बोलना, खाना, पीना आदि अभिभावक की नियमित निगरानी और सतर्कता के साथ में हो। घर के आसपास कूड़ा ना फैलाएँ जिससे संकर्मण हो सकता है। गंदगी को केवल कूड़ेदान में डालें। साफ सफाई केवल किसी एक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी नहीं है यह देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। हमें इसके महत्व और फायदों को खुद भी समझना है और दूसरों को भी इसके बारे में समझाना है। हमें भारत को स्वच्छ रखने की कसम खानी चाहिए कि न तो हम गंदगी करेंगे और न किसी को करने देंगे। हर भारतीय नागरिक की ज़िम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करें।

हम इसको समूह चर्चा, डॉक्युमेंट्री विडियो द्वारा भी सबको संदेश दे सकते हैं। हमको सभी को स्वच्छता का ध्येय और महत्व समझना होगा।

दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा किए गए कार्य:- इस अभियान में दिल्ली नगर कला आयोग का भी बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री जी ने शौचालय पर बहुत ज़ोर दिया तो दिल्ली नगर कला आयोग ने इस कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को बखूबी निभाया।

राम मनोहर हॉस्पिटल और अतातुर्क मार्ग पर शौचालय बनवाए तथा बंगलोर और कानपुर में शौचालय बनवाकर बहुत ही सराहनीय काम किया है।

दिल्ली में भी काफी स्थानों पर प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर शौचालय बनवाए जा रहे हैं।

निष्कर्ष:- समाज में हम सब नागरिकों का योगदान अनिवार्य है तथा हम प्रण करें कि हम अपने देश को स्वच्छ रखने में एकजुट होकर अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएँगे। सभी भारतीय नागरिक आज एक प्रण लें कि वह ना कभी गंदगी करेंगे और ना ही करने देंगे।

अल्का धीर,वरिष्ठ आशुलिपिक

हिंदी विश्व की सरलतम भाषाओं में है
आचार्य क्षितिज मोहन सेन

स्वच्छता ही सेवा

स्वच्छता सभी मनुष्यों के जीवन की आधारशिला होती है। स्वच्छ वातावरण जीवन निर्वाह में बहुत उपयोगी होती है। स्वच्छता को हमारे देश “भारत” में भगवान का दर्जा दिया गया है।एक अंतराष्ट्रीय एनजीओ "वाटर टेड" के अनुसार भारत विश्व का दूसरा प्रदूषित और अस्वच्छ देश है। पहले स्थान पर चीन है। अस्वच्छता के कारण हर साल पांच लाख बच्चे मर जाते हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के द्वारा “स्वच्छ-भारत अभियान” की शुरुआत हुई है। यह राष्ट्रपिता महात्मागाँधी जी 150वीं जयंती, 2 अक्तूबर, 2014 को शरू की गयी है। यह अभियान राष्ट्रपिता माहत्मा गाँधी जी के "स्वच्छ भारत" सपने को साकार करने के लिए शरू किया गया है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपिता माहत्मागाँधी जी के 150वीं जयंती तक भारत को एक "स्वच्छ भारत" देश बनाने का निर्णय लिया गया है। स्वच्छ भारत अभियान को कामयाब बनाने के लिए भारत के प्रसिद्ध कलाकारों, खिलाड़ियों और विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों को भी इस अभियान से जोड़ा गया है।

स्वच्छता का मतलब सिर्फ अपने शरीर की सफाई से नहीं होता है। स्वच्छता का मतलब अपने आस-पड़ोस को साफ़ रखना, अपने मोहल्ले, गांव, शहर आदि को साफ़ रखना होता है। हमें अपने खान-पान की वस्तुओं और रसोई को साफ़ रखना चाहिए। घर का कूड़ा रास्ते पर नहीं डालना चाहिए क्योंकि वह कूड़ा हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ होने का खतरा रहता है।वायु को प्रदूषित करने वाले रसायनिक तत्वों को अपने वातावरण से हटाने का प्रयास करना चाहिए। कारखानों से निकलने वाले रसायनिक तत्वों को नदियों के पानी, झीलों के पानी में मिलने से रोका जाना चाहिए। नदियों में कूड़ा, मृत शरीर और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को डालने से रोका जाना चाहिए । लोगों को इधर-उधर थूकने से रोका जाना चाहिए।

घर को साफ रखने में घर के लोगों का साथ होता है तो बाहर की सफाई में समाज का साथ होता है। समाज और वातावरण को साफ रखना एक व्यक्ति या सरकार का ही काम नहीं होता। यह प्रत्येक व्यक्ति का अपने देश के प्रति एक “नैतिक कर्तव्य” होता है।

यह नैतिक कर्तव्य किसी भी व्यक्ति पर बाध्य नहीं होती परंतु देश की प्रगति और समाज को स्वच्छ रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्तर से अपना योगदान देना चाहिए। हम ऐसे

अपनी, अपने समाज और अपने सरकार की अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर सकतें है । अपने समाज और अपने वातावरण को साफ रखने के लिए विभिन्न प्रकार के सरल उपाय कर सकते हैं :

- प्लास्टिक का उपयोग बंद करना चाहिए।
- कूड़े को कूड़ेदान में डालना चाहिए ।
- लोगों को इधर-उधर थूकने और कूड़ा फैलाने से माना करना चाहिए ।
- जो वस्तुएँ गल-सड़ सकती हैं उसे जैविक कूड़ेदान और जो गल-सड़ नहीं सड़ सकती उसे अजैविक कूड़ेदान में डालना चाहिए।
- स्वच्छता के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए छोटे-छोटे कार्यक्रम करने चाहिए।

******

<u>रवि शंकर रॉय ,कनिष्ठ आशुलिपिक</u>

हिंदी हिमालय से लेकर कन्याकुमारी
तक व्यवहार में आने वाली भाषा है

स्वच्छता ही सेवा

मनुष्य की प्रकृति है-स्वच्छ रहने की । परंतु स्वच्छता का संबंध एकमात्र मानव शरीर से नहीं अपितु उसके आस-पड़ोस के वातावरण से भी है जिसमें गली-मोहल्ले, नालियाँ, पशु-पक्षी आदि सभी का बराबर संबंध है। महात्मा गाँधी ने कहा था "स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है।" स्वाभाविक रूप से भारतीय धार्मिक प्रकृति के लोग हैं परंतु इनकी स्वच्छता एकमात्र पूजा-घर एवं रसोई तक ही सीमित रह गई। लोग घर तो साफ-सुथरा कर लेते है, लेकिन कचरा गली-मोहल्ले एवं खुले में निष्तारित कर देते हैं। महात्मा गाँधी ने अपने अनेक भाषण में स्वच्छता संबंधी शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने मात्र शब्दों से ही नहीं अपितु अपनी जीवन-शैली से भी जन-जन को स्वच्छता की ओर अग्रसर किया है। गांधी जी का स्वप्न था की हमारा राष्ट्र एक साफ-सुथरा राष्ट्र हो।

गांधी जी के सपने को वास्तविक रूप देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई प्रयास किए। 2 अक्तूबर, 2014को इन्होंने "स्वच्छ-भारत अभियान" का शुभारम्भ किया। चूंकि 2019 में माहत्मा गाँधीजी की 150वीं वर्षगांठ है, अतः यह संकल्प लिया गया है की वर्ष 2019 तक राष्ट्रपिता का स्वप्न पूरा होगा। अतः 15 सितम्बर 2017 को इसी दिशा में "स्वच्छता ही सेवा" है जैसे अभियान को भी जोड़ा गया। इसका शुभारम्भ राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द द्वारा कानपुर के एक जिले में हुआ।

प्रश्न मात्र इतना है की क्या देश को स्वच्छ रखने का दायित्व मात्र सरकार का है? या किसी परिवेश को स्वच्छ रखने की ज़िम्मेदारी मात्र सफाई कर्मचारियों की ही है। कोई भी नीति तब ही सफल होगी जब इसमें देश के नागरिकों का बराबर सहयोग होगा। आज यह सब जानते हैं की आस-पास के वातावरण को गंदा रखना न मात्र देखने में गंदा लगता है अपितु इससे मक्खी, मच्छर जैसे जीवों का उत्सर्जन होता है जो अंततः भयावह बीमारियों के लिए उत्तरदायी है। हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियाँ आज के समय में आम होती जा रही हैं। अगर सामान्य नागरिक यह संकल्प ले ले की "मैं न खुद गंदगी करूंगा न अपने आस-पास किसी को गंदा करने दूंगा" तो वह दिन दूर नहीं जब ये सभी बीमारियाँ जड़ से नष्ट हो चुकी होंगी एवं राष्ट्रपिता का सपना पूर्ण हो जाएगा।

अतः हमें आस-पास सफाई रखनी चाहिए जिसके लिए कचरा सदैव कचरे-दान में ही डाले। बेवजह कुछ भी खाकर इधर न फेंके एवं घरेलु कचरे के निस्तारण के सन्दर्भ में विचार करना चाहिए। गीला

एवं सूखा कूड़ा अलग-अलग डाला जाए जिससे गीले कचरे से बायो-डाइजेस्टर प्लांट में बायोगैस का उत्सर्जन किया जा सके। आज मानव इस दिशा में जागरूक हुआ भी है लेकिन मात्र कुछ लोगों की जागरूकता इसमें मायने नहीं रखती, जो जागरूक हुए हैं उनको बाकी लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे। नुक्कड़ नाटक, नारेबाजी, मंच प्रदर्शन मात्र इसका समाधान नहीं, ये तो वर्षों से हो रहा है। हम सबको स्वच्छता से रहने एवं सफाई करने के लिए कहते है लेकिन कहने से नहीं होता तो करने से है। अतः अब नई तकनीकी गतिविधियों के समय ठोस कदम उठाने होंगे। "स्वच्छता, राजनीतिक स्वतन्त्रता से बढ़कर है"- ऐसा गांधी जी ने कहा था। अगर मनुष्य का तन-मन स्वच्छता की ओर होगा तो आस-पास के परिवेश को भी स्वच्छ रखेगा।

"जन-जन का है ये नारा
स्वच्छ रहे राष्ट्र हमारा।"

स्वच्छ भारत अभियान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक प्रयास किए जिसमें एक है-ग्रामीण क्षेत्रों में "टॉयलेट" (शौचालय") का निर्माण। आज कई क्षेत्रों में विकास हुआ है एवं खुले में शौच में लोगों की संख्या में कमी हुई है। अतः सेवा का एक रूप "स्वच्छता ही सेवा" भी हो सकती है। यह विचारनीय एवं आचरण में लाने योग्य है।

<u>नेहा चौहान ,वास्तुक सहायक</u>

आपके शब्द,विचार और कार्य आपके
भाग्य का निर्माण करते हैं

अज्ञात

पूना शहर के लिए हरित अवसंरचना द्वारा बरसाती जल प्रबंधन

लेखक : निकिता पालीवाल, नगर स्तरीय परियोजना,कनसल्टेंट

सार

पूना अपनी स्थलाकृति के संदर्भ में, प्राकृतिक जल संसाधनो के कारण प्रसिद्ध है । बढ़ते शहरीकरण, से जल का दोहन हुआ तथा सभी प्रदूषण घटकों ने प्राकृतिक जल संसाधनों को प्रदूषित किया है अतत: पूना शहर के प्राकृतिक संसाधनों को संकंट में डाल दिया है, इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ।

आज के शहरीकरण के दौर में, धरती की सतह पर गिरने वाला पानी, अन्य शब्दों में बरसाती पानी कहलाता है, यह प्रदूषित हो जाता है तथा धारा प्रवाह माना जाता है । पारम्परिक शहरी बरसाती जल प्रबंधन, बरसाती पानी संग्रहण पर फोकस करता है, मुख्य रुप से भूमिगत पाईप, या इंजिनियरी ओवर लैण्ड फ्लो नालियां, जिसमें रोड, पार्किंग लॉट और अन्य सतही पानी से दूषित पानी एकत्रित होता है, जोकि बाद में नदियों और झीलों का हिस्सा बन जाता है ।

बरसाती पानी को स्रोत माना जाना चाहिये नाकि इतना समृद्ध कि जिसे नाली में बहाया जाए । बरसाती पानी प्रबंधन का बरसाती पानी के प्रति एक अलग दृष्टिकोण होना चाहिए जिसमें कि शहरी बरसाती पानी को स्पष्ट तथा अंतर्निहित मूल्यों के बारे में बताया जाए तथा शैक्षणिक के साथ-साथ मनोरंजन का स्रोत बनें ।

पूना शहर वार्ड को बरसाती पानी प्रबंधन के लिए हरित अवसंरचना नीति बनाई जाने के लिए नायक(pilot) परियोजना के लिए चयनित किया गया है ।

संदर्भ शब्द : बरसाती पानी, हरित इंफ्रा स्ट्रक्चर

निकिता पालीवाल,दिल्ली नगर कला आयोग

duac1974@gmail.com

हरित इंफ्रा स्ट्रकचर - जल प्रबंधन,हरित इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर सुरक्षा, पुन: स्थापना अथवा प्राकृतिक जल चक्र की नकल है. (अमरीकन रिवरस आर्गेनाईज़ेशन)

1. परिचय: **प्रस्ताव**

हरित इनफ्रा स्ट्रकचर बरसाती पानी प्रबंधन के लिए नवीन दृष्टिकोण है, जिसका लक्ष्य साईट के विकास से पूर्व प्राकृतिक जल निकासी की नकल कर पारम्परिक दृष्टिकोण की कमियों को दूर करे । हरित इंफ्रास्ट्रकचर निति का लक्ष्य अधिक प्राकृतिक जल सम्बंधी व्यवस्था (natural hydrological regime)का संचयन अथवा रखरखाव करना है, ताकि पानी नाली में बहाए जाने पर और जल की गुण्वत्ता पर शहरीकरण का प्रभाव निम्नतम हो । हरित इंफ्रास्ट्रकचर के पीछे विचार है, प्राकृतिक प्रणालियोंको दोहराए जाने की कोशिश करना और निम्न प्रयावर्णीय प्रभाव के साथ गदें और सतही पानी का संग्रहण,भंडारण तथा साफ किया जाना उससेपूर्व कि उसे धीमे से वापस पर्यावरणजैसे जल धारा प्रवाहमें छोडा जाए ।

यह जहां हरित इंफ्रास्ट्रक्चर में बहने वाले पानी का उपचार किये जाने की पर्याप्त क्षमता नहीं हो तो उसे ग्रे इंफ्रास्ट्रकचर (कंक्रीट पाईप)अनुपूरति की जाती है ।

1.1 लक्ष्य

बरसाती पानी प्रबंधन किए लिए ह्रित इंफ्रास्ट्रकचर नीति विकसित की जाए जोकि पूना शहर के वार्ड में विभिन्न निर्मित अध्ययनो (typologies,)के विद्यमान बरसाती पानी इंफ्रास्ट्रक्चर का अनुपालन करते हों ।

1.2 कार्य क्षेत्र

विद्यमान प्राकृतिक स्थितियों के साथ-साथ मानव रचित बरसाती पानी इंफ्रास्ट्रकचर तथा इसके लिए समस्याओं को चिन्हित कर,इस संदर्भ में मापदण्डों द्वारा चयनित वार्ड के विस्तृत अध्ययन किया जाए तथा वहां के लिएविशेषतौर पर उचित हरित इंफ्रास्ट्रकचर घटक को चिन्हित किया जाए और इसके लिए उनकी नीतिगत अवस्थिति का पता लगाया जाए ।

1.3 परिसीमा (Limitations)

बरसाती पानी प्रबंधन के लिए अध्ययन और नीतियां,वार्ड विशिष्ट हैं । हरित इंफ्रास्ट्रक्चर घटकों को चिन्हित किए गए हाइडालिक डिज़ाईन के अध्ययन असीमित (open-ended)है।

2. विश्लेषण की प्रक्रिया

2.1 चरण 01 - बेसिन का चयन

पूना नगर निगम (पी.एम.सी.) द्वारा प्राकृतिक पैरामीटर के आधार पर पूना शहर को तैईस बेसिन में बांटा गया है। इन बेसिन मेंसे कोथ्रुड बेसिन को दो मानदण्डो के द्वारा चयनित किया गया है ।प्रथम, अप स्ट्रीम कैचमेंट बेसिन (चित्र 1)द्वितीय शहरीकरण का घनत्व(चित्र 2).

चित्र 1. पूना शहर की वाटर शेड बेसिन . कोथ्रुड बेसिन 'बी'

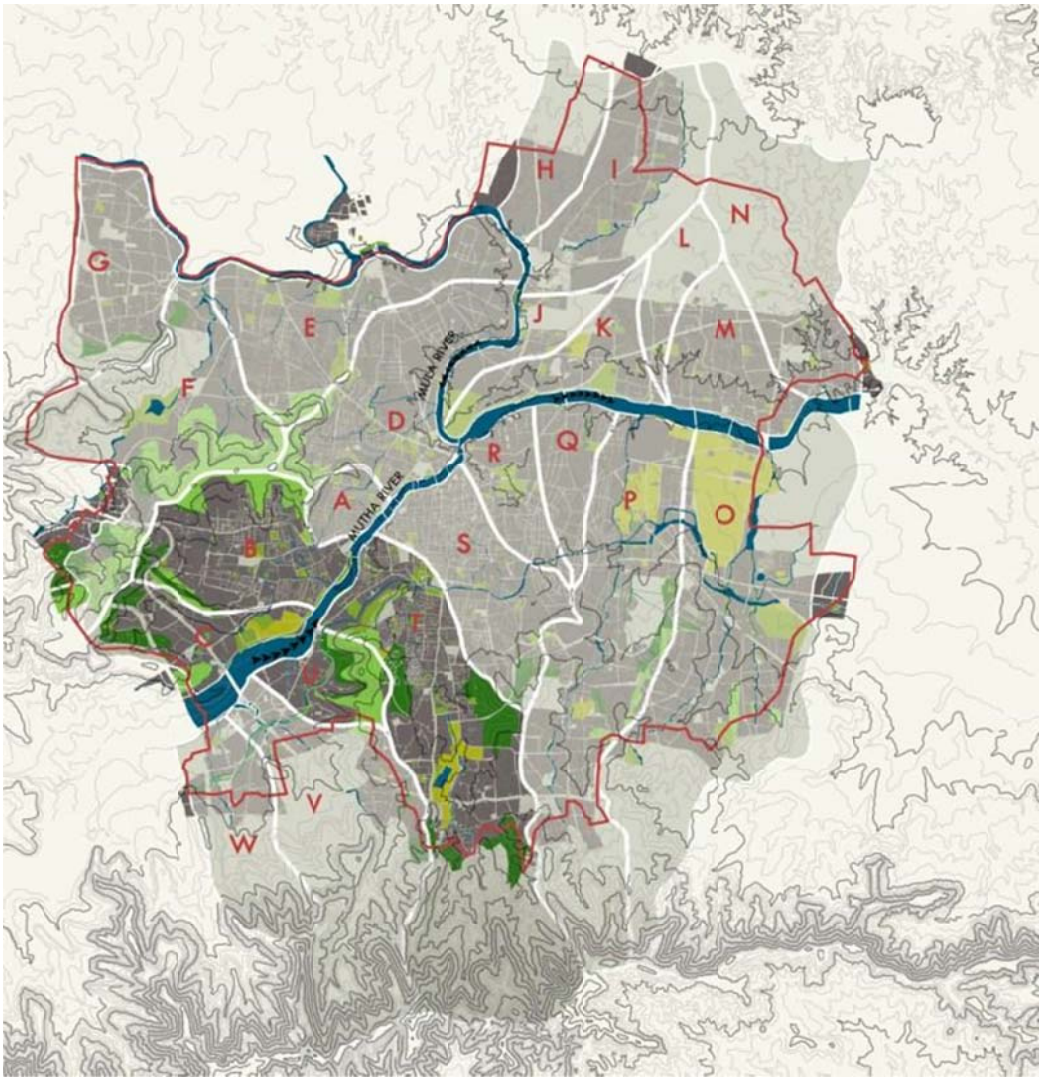

अपस्ट्रीम बेसिन को होने के कारण चयनित किया गया

चित्र 2. पूना शहर की बेसिन के लिए निर्मित घनत्व.। .कोथ्रुट बेसिन को निर्मित घनत्व की उच्चतम प्रतिशत के लिए चयनित किया गया ।

2.2 चरण 02 - **बेसिन के भीतर वार्ड का चयन**

पूना शहर को पी.एम.सी. द्वारा प्रशासन बाउडरी को कई वार्डों में बांटा गया है ।एक वार्ड का चयन दो मानदण्डों द्वारा किया गया है बिल्डिंग टाइपोलाजी (चित्र-3) ,द्वितीय निर्मित घनत्व (चित्र 4) ।

आदर्श (Ideal)कालोनी वार्ड (चित्र 5) कोथ्रड बेसिन को चयनित किया गया क्योंकि उसमें चार विभिन्न प्रकार की निर्मित टाइपोलाजी है जैसे रिहायशी,कामर्शियल,संस्थानिक तथा इंडस्ट्रियल (चित्र 3)और इस विशेष वार्ड में खुलाए स्थानों की अधिक प्रतिशत है तथा इसमें हरित इंफ्रास्ट्रक्चर (चित्र 4) को समायोजित करने के लिए अधिक अवसर मिल सकते हैं ।

चित्र 3.कोथ्रुड बेसिन में विभिन्न टाइपोलोजी का चित्रण

चित्र 4..कोथ्रुट बेसिन में निर्मित घनत्व और खुले स्थान का चित्रण

चित्र 5. आदर्श (Ideal) कालोनी वार्ड (चयनित) - कोथ्रुड बेसिन

2.3 चरण **03 -** वार्ड में निर्मित

टाइपोलाजी की पहचान ।

फील्ड अध्ययन तथा बेस मैप अध्ययन से .चयनित वार्ड (चित्र 6), के लिए विशेषतौर पर कुल 7 निर्मित टाइपोलाजीस चिन्हित की गई ।

- टाईपोलाजी ए
  दोनों ओर पाथ वे के साथ कॉमर्शियल हॉइ स्ट्रीट - मिश्रित अग्रभाग , पाथवे के साथ जोड़ने से पूर्व कुछपक्की उपलब्ध सतह ।

- टाईपोलाजी बी
  पर्याप्तटाईपोलाजी, स्ट्रीट के दोंनो ओर पाथवेज़ तथा एक मीडियन -.रिहायशी स्ट्रीट

- टाईपोलाजीसी
  सीमित चौडाई के साथ कोई पाथ वे ना हो तथास्ट्रीट के साथ सटी निजी सम्पतियों की कम्पाउंड वाल - रिहायशी स्ट्रीट

- टाईपोलाजी डी
  मिश्रित अग्रभाग के साथ स्ट्रीट, (भू तल पर) कॉमर्शियल गतिविधियां तथा (ऊपरी तल पर) रिहायश, बिना कम्पाउंड वाल के कठोर सतह से सटी स्ट्रीट

- टाईपोलाजी ई
  .टू-वे रोड के बीच उपलब्ध खुला स्थान तथा साथ में कोई पाथवे नहीं - रेज़ीडेनशियल स्ट्रीट

- टाईपोलाजी एफ
  सीमित चौडाई तथा स्ट्रीट से सटी कम्पाउंड वाल्स और मध्य में उपलब्ध सार्वजनिक खुला स्थान - रेज़ीडेनशियल स्ट्रीट

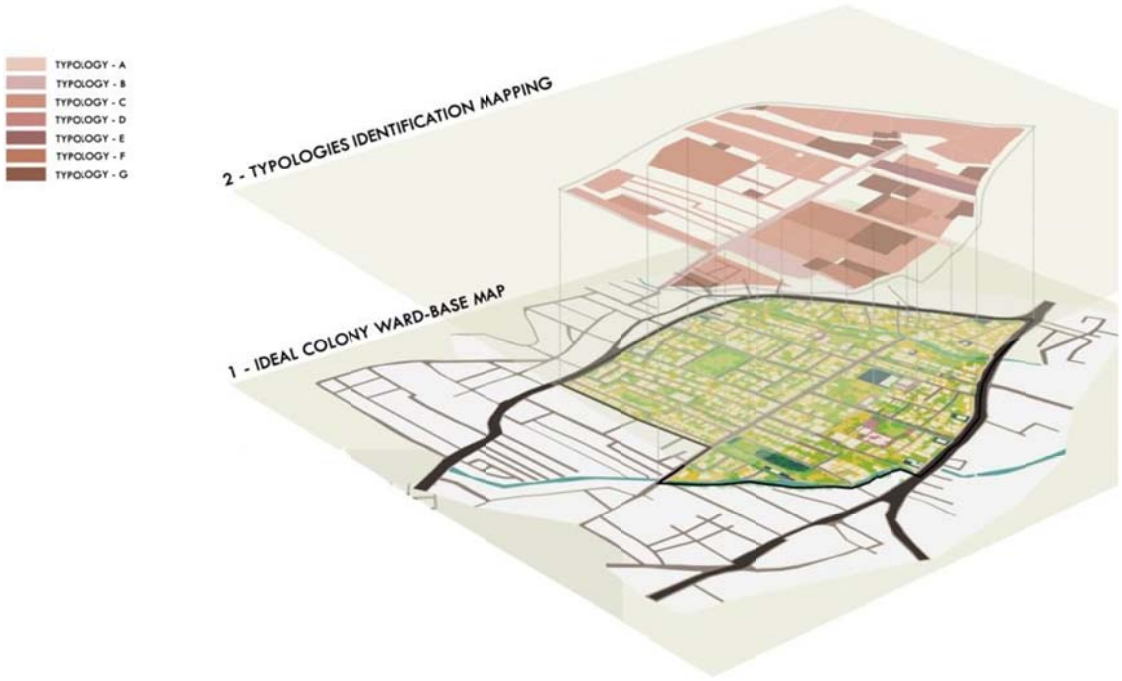

चित्र 6.आदर्श (आईडियल) कालोनी वार्ड में निर्मित टाइपोलाजीस की पहचान

2.4चरण **04 -** चयनित वार्ड के लिए बरसाती जल प्रबंधन ट्रेन

विद्यमान टाइपोलाजीस को बरसाती जल प्रबंधन ट्रेन के अभिकल्प के साथ लाद दिया गया है तथा वार्ड में प्रत्येक चिन्हित टाइपोलाजी के लिए लागू प्रबंधन ट्रेन की अवस्था को इंगित किया गया ।

2.4.1 बरसाती पानी प्रबंधन उपचार ट्रेन अभिकल्प

बरसाती जल प्रबंधन ट्रेन अपरोच ,बह्ने वाले पानी की गुणवता को सुनिश्चित किया तथा गुणवता को सम्बोंधित किया गया । उपचार के तीन लक्ष्य (तालिका 1) में दिए गए हैं जोकि बरसाती पानी के बहाव एकीकृत तथा संतुलित करने का प्रावधान करते हैं जिससे बरसाती जल के बेकार बह जाने कम करने में सहायता करता है।

लक्ष्य	**कार्य**	**घटक**
स्रोत नियत्रंण	वाहक तथा जल रिसाव	रिसाव संग्रहण खाई,पोरस(पार गम्य) पेविंग, सोखने की शक्ति, जैविक-अवधारणा, फिल्टर ट्रेंच,फिल्टर स्ट्रिप्स(पट्टी),कुण्ड(Swales)हरित छतें, हरित दीवारें
साईट नियत्रंण	घनत्क में कमी तथा सतही जल के व्यर्थ बहाव का अनुपात .	बेसिन अवरोधक,बेसिन अवधारणा
क्षेत्रीय/ वार्ड नियत्रंण	जल बहाव के सभी स्रोत अवरोधन तथा साईट पर अनुवर्ती प्रवाह प्रबंधन तथा जल गुणवत्ता उपचार का प्रावधान ।.	बरसाती वेट लैण्ड

तालिका 1. प्रबंधन का लक्ष्य तथा उंके कार्य और घटक़

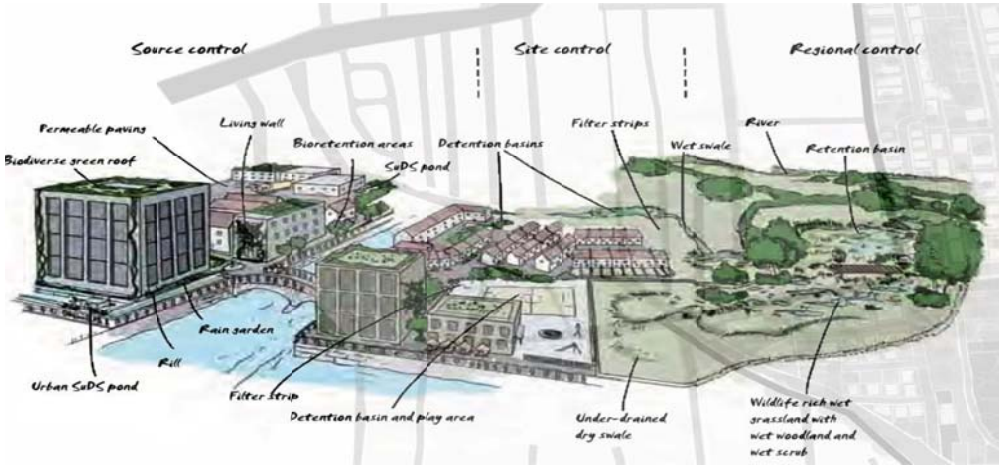

चित्र 7.बरसाती जल प्रबंधन ट्रेन
(एंन्डी ग्राहम, जान डे, बोब ब्रे, सैली मैकेंज़ीसतत निकासी प्रक्रिया)

2.5 चरण **05 -** विद्यमान अवस्थिति विश्लेषण**,** प्रत्येक टाइपोलाजी के लिए विश्लेषित विदयमान अवस्थिति निम्न लिखित परतों के द्वारा विश्लेषण किया गया ।

- बरसाती पानी बहाव सृजन के सतह के प्रकार
- विद्यमान बरसाती जल प्रबंधन इंफ्रास्ट्रकचर (ग्रे)
- चिन्हित खुले स्थान पर गतिविधि पेट्रन

2.6 चरण **06 -** प्रत्येक टाइपोलाजी के लिए बरसाती पानी प्रबंधन हेतु हरित इंफ्रास्ट्रकचरविकसित करनाहरित इंफ्रास्ट्रक्चर घटक**,**त्रि चरण चयन मानदण्डों द्वारा चयनित किया जाना

- साईट सतही लक्षण
- भौतिक व्यवहार्य मानदण्ड
- प्राप्त लाभ

चयनित घटकों को नितिगत ढंग से टाइपोलाजी के भीतर घटकों का नेटवर्क बनाया गया तथा अंतत: प्राकृतिक जल प्रक्रिया अथवा विद्यमान बरसाती पानी इंफ्रास्ट्रक्चर से जोडा गया .।

3. परिणाम**:** टाईपोलाजी **'**ए**'** के लिए हरित इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा बरसाती पानी प्रबंधन नीति

टिपोलाजी;ए'(2.3)के लिए इस पेपर हेतु नायक अध्ययन नीति बनाई गई ।

3.1 मौजूदा स्थिति विश्लेषण

पाथवेज़ की दोनों ओर कामर्शियल हाइ स्ट्रीट - मिश्रित अग्रभाग के साथ, कुछ सीधे पाथवे से सटे थे, कुछ में कठोरसतह है, पेवमेंट से सटे होने से पूर्व उपलब्ध (चित्र 8)
रोड की चौडाई - 14m.
रोड की लम्बाई - 0.37km.
रोड के साथ ढलान - 0.9%
पाथवेकी चौडाई - 2.3मी.से 4.0मी.तक

चित्र 8. टाइपोलाजी'ए' विद्यमान स्तिथियों के साथ बेस मैप तथा स्थल चित्र

3.1.1 विद्यमान बरसाती पानी प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर

पी.एम.सी. द्वारा बनाए गए वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर, नोड्स पर कैच बेसिन द्वारा बरसाती पानी संग्रहण होता है, जिसमें रोड और पाथवे के प्रदूषित कण के साथ तथा अतत: नदी में जाता है ।

3.1.2हित धारकों के साथ विद्यमान खुला स्थान

रोड के साथ पाथवे जोकि दोनों ओर2.3 मी. से 4.0 मी. तक चौडाई वालाबडा क्षेत्र खुले स्थान के रुप में योगदान देता है। चूंकि इस स्थान पर पी.एम.सी का स्वामित्व है,इसमें हरित इंफ्रास्ट्रक्चर घटकों का समेकन किया जाना सरल होगा । पाथवे से सीधे सटे कुछ खुले स्थान उपलब्ध हैं, जोकि बाद में पाथवे का हिस्सा बन जाते हैं किंतु उनका स्वामित्व निजी निकायों के पास है, हस्तक्षेप किया जाना चुनौती पूर्ण होगा ।

3.1.3खुले स्थान पर गतिविधियां

पार्किंग बडी गतिविधि है,जोकि रोड की साईड को घेर लेती है, किंतुपी.एम.सी. के नियम अनुसार इसे रोड के एक ओर वैकल्पिक रुप से बारी-बारी किया जाए,और आगे अवसर प्रदान किया जाए ।

3.2 प्रस्तावित रणनीति

इसटाइपोलाजी के लिए रणनिति बरसात के बहते हुए पानी को जंहा तक संम्भव हो उसके स्रोत से संग्रह करना है, व्यर्थ बहने की गति कोकम किया जाना तथा विद्यमान इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रवेश करने से पूर्व गुणवत्ता में सुधार किया जाए, अतंत: चेनलाईज़ड नदी में जाए ।

इसे प्राप्त करने के लिए त्रि-चरण चयन मानदण्ड (प्रक्रिया में उल्लिखित) द्वाराहरित इंफ्रास्ट्रक्चर घटक चयनित किया गया जिसके परिणाम स्वरुप जैविक धारक प्लांटर (Bio-retention planters) का चयन किया गया, चूकिं यह टाइपोलाजी की मौलिक आवश्यकताओं से मेल रखता है। यह प्लांटर सड़क तथा साईड वाकस के बीच, शांत ट्रेफिक तथा पैदल चलने वालों को सुरक्षित महसूस करवाएगें और सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे ।

3.2.1जैविक धारक प्लांटर (Bio-retention planters) की अव स्थिति की रणनीति

सड़कके दोनों ओर वैकल्पिक पार्किंग आफसेट (alternate parking offset) में प्लान्टर प्रस्तावित हैं । प्लांटरस की वैकल्पिक स्थिति पार्किंग की संख्या को कम नहीं करेगा,साथ ही, चिन्हित और नियोजित पार्किंग स्थान का प्रावधान करेगातथाप्रभावी कैरिएजवे को कम नहीं करेगा ।

प्लांटर को इस प्रकार रखा जाना प्रस्तावित है कि वे विद्यमान वृक्षों को समायोजित करें तथा उनको सांस लेने के लिए स्थान दिया जाए।

3.2.2बरसाती पानी का व्यर्थ बहाव

सड्कों और पाथवे पर बहने वाला पानी, कर्ब स्टोन से होता हुआ ,सड्क के दोनों ओर से,जैविक धारक प्लांटर (Bio-retention planters)में प्रवेश करता है तथा छिद्र वाले पाईपों से नीचे चला जाता है तथा विद्यमान इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड जाता है ।

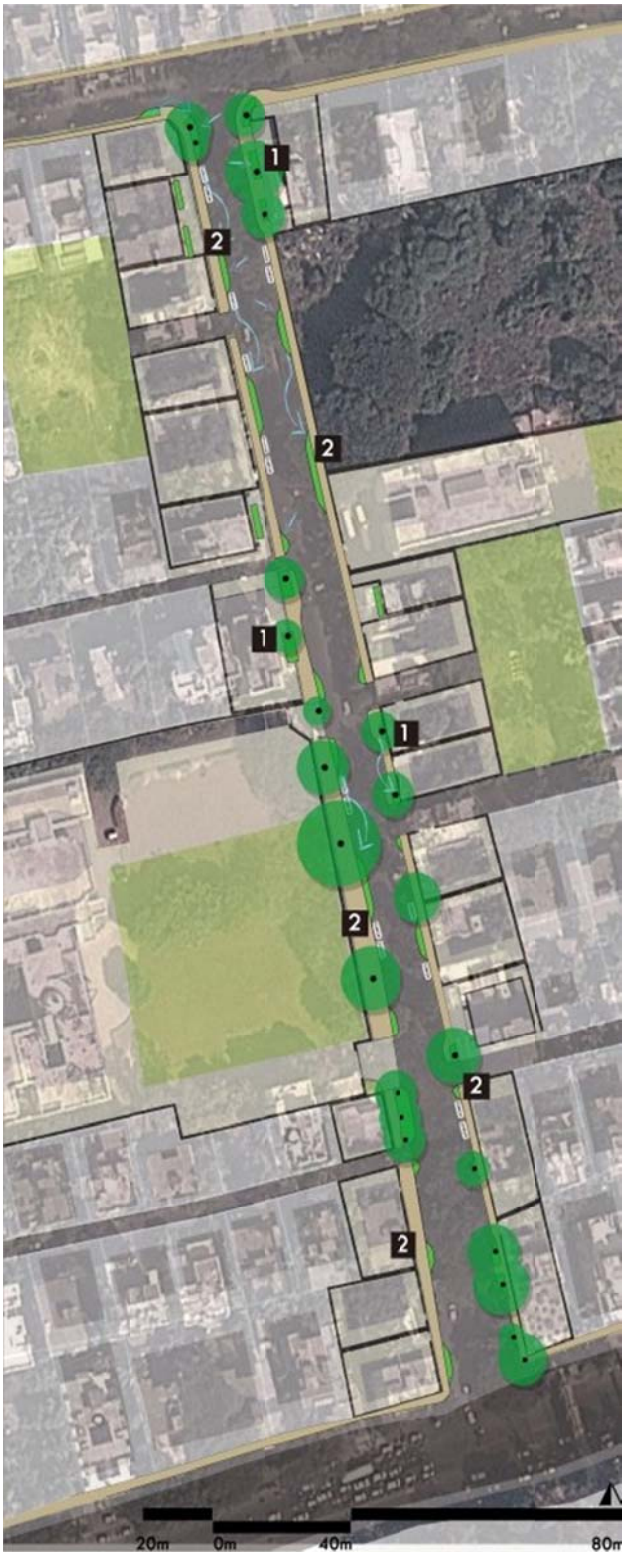

चित्र 9. टाइपोलोजी 'ए' – हरित इंफ्रास्ट्रक्चर से बरसाती पानी प्रबंधन के लिए संकल्पनात्मक नक्शा.

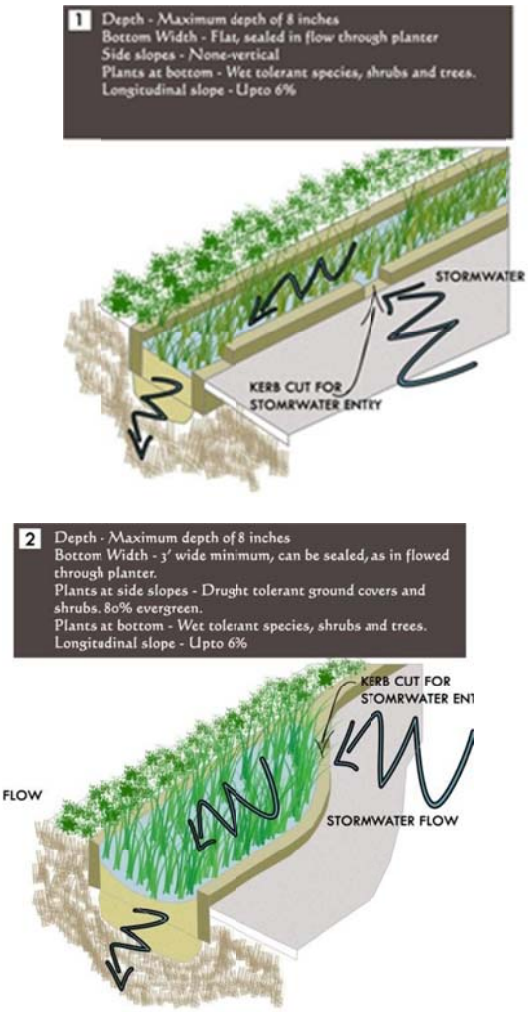

चित्र 10. टाइपोलाजी'ए' – विभिन्न प्रयुक्त घटकों के लिए लीजेंड

चित्र 11. टाइपोलाजी 'ए'–विभिन्न प्रयुक्त घटकों के लिए लीजेंड (Legend).

चित्र 12. टाइपोलाजी'ए' – विशिष्टसेक्शन थ्रूसड्क.

चित्र 13. टाइपोलाजी'ए'' – स्ट्रीट परिपेक्ष्य.

4. निष्कर्ष

पूना शहर के विशेष वार्ड के लिए बरसाती पानी प्रबंधन की रणनीति को निर्मित करने के नायक(pilot) अध्ययन, सम्पूर्ण शहर का प्रतिनिधित्व करेगा । यह रणनीति पारम्परिक निकासी प्रक्रिया के प्रभाव को प्रतियुत्तर प्रस्तुत करेगा जोकि बाढ़,वातावरण का प्रदूषण का कारण बनता है- जिसके परिणाम स्वरुप वन जीवन को हानि पहुचती है और भूमिगत जल स्रोतों का दोहन होता है। इन सतत समाधानों का प्रबंधन आसान होगा, कम अथवा ना के बराबर ऊर्जा निवेश की अवश्यकता होगी, पर्यावरण के साथ-साथ सौंदर्यपरक रुप से आकर्षक तथा प्रयोग में लचीले होंगे ।

5. संदर्भ

अमेरीकन नदियां: नदियां हमारे साथ जुड़ती हैं ।
[आनलाईन] उपलब्ध:
<https://www.americanrivers.org/threats-solutions/clean-water/green-infrastructure/what-is-green-infrastructure/>
[फरवरी2012को एक्सेस्ड].

एंडी ग्राहम, जान डे, बाब ब्रे, सैली मेकेंज़ी, 2012. सतत निकासी प्रक्रिया : स्थानीय प्राधिकारियों तथा विकास कर्ताओं के लिए गाईड
[आनलाईन] उपलब्ध:
<http://www.rspb.org.uk/images/SuDS_report_final_tcm9-338064.pdf>
[फरवरी 2012 को एक्सेस्ड].

दिल्ली नगर कला आयोग सचिवालयदिनांक 31.01.2019 तक

दिल्ली नगर कला आयोग सचिवालय दिनांक 01.02.2019 से

दिनांक 28.02.2020 शुक्रवार को श्रीमती उमा भाटी, वास्तुक सहायक, दिल्ली नगर कला आयोग से सेवानिवृत।